मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2019–2020

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

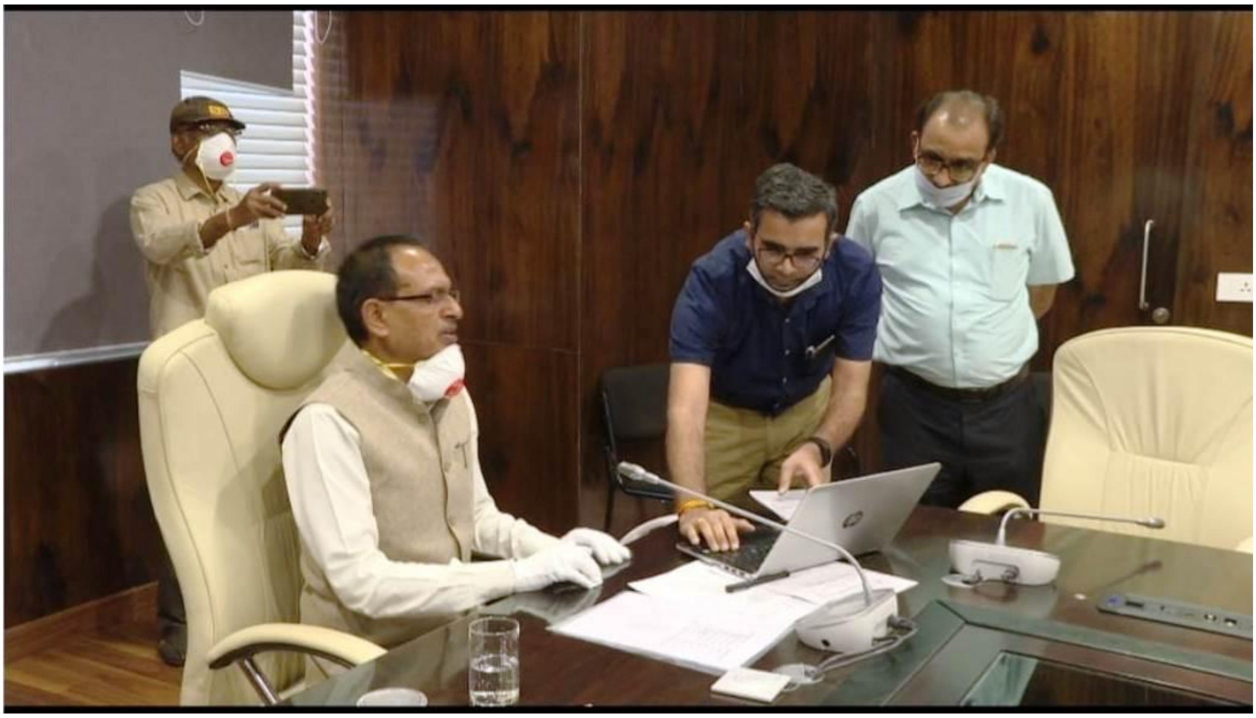

माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दो माह की पेंशन का वितरण हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खातें में सिंगल क्लिक से किया गया

जिला देवास में विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में मनोरंजन करते वरिष्ठजन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2019–2020

मंत्रालय

माननीय मंत्री जी	श्री लखन घनघोरिया
अपर मुख्य सचिव	श्री जे.एन. कंसोटिया (IAS)
सचिव	श्रीमती अलका श्रीवास्तव (IAS)
उप सचिव	श्री बूटा सिंह

विभागाध्यक्ष

मिशन संचालक म.प्र.समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन	श्री बी. चन्द्रशेखर (IAS)
संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (IAS)

अनुक्रमाणिका

भाग – एक

1. सामान्य जानकारी 6
2. विभाग की पृष्ठभूमि....................7
3. विभाग की प्रशासकीय संरचना 8
4. विभाग के दायित्व....................10
5. विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय 12
6. विभागीय कार्यक्रम....................14

भाग – दो

7. बजट प्रावधान, व्यय एवं जेण्डर बजट....................17

भाग – तीन

8. विभागीय कार्यक्रमों का विवरण
   - दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम....................23
   - सामाजिक सहायता कार्यक्रम....................32
   - समाज रक्षा कार्यक्रम 38
   - नशामुक्ति/कलापथक कार्यक्रम 41
9. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम–2010 44
10. दिव्यांगजन हेतु राज्य आयुक्त 48
11. मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 49

भाग – चार

12. सामान्य प्रशासनिक विषय 51
    - संसदीय कार्य
    - विधि विषयक कार्य
    - सूचना का अधिकार, पदोन्नति,नियुक्ति,विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण
13. उपलब्धियां, विभिन्न दिवस, आयोजित कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं....................54
14. सारांश 62
15. परिशिष्ट 63

भाग - 1

मध्यप्रदेश एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	**(हजार वर्ग कि.मी.) 308**
प्रशासन	
संचालनालय	1
संभागीय कार्यालय	7
जिला स्तरीय उप संचालक कार्यालय	45
निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाऐं	20
भिक्षुक गृह	1
वृद्धाश्रम	74
डे–केयर सेन्टर	83
नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र	20
निःशक्त कल्याण की विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाऐं	234
प्रशासकीय इकाई	
संभाग	10
जिले	52
कुल तहसील	424
राजस्व अनुभाग	255
विकास खण्ड/जनपद	313
आदिवासी विकास खण्ड/जनपद	89
कुल ग्राम	54,903
कुल ग्राम पंचायतें	23,922
कुल नगर निगम	16
कुल नगर पालिका	98
कुल नगर परिषद	294
कुल नगर/शहर	476
जनसंख्या (जनगणना 2011) (लाख में)	
कुल जनसंख्या	726.27
पुरुष	376.12
महिला	350.15
ग्रामीण	525.57
शहरी	200.70
अनुसूचित जाति	113.42
अनुसूचित जनजाति	153.17
वृद्धजन	57.13
कल्याणी	21.49
दिव्यांगजन	15.51
ट्रांसजेण्डर	0.29

विभाग की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 1.11.1956 से पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का गठन हुआ।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का 7 बार विघटन हुआ है जिसके तहत एक–एक दायित्व अन्य विभागों को सौपा गया है या नया विभाग गठित किया गया है, जो तालिका में वर्णित है :–

क्रमांक	वर्ष	पुर्नगठन का स्वरूप
1	1961	विभाग से सहकारिता विभाग की योजनाओं को हटाया जाकर पृथक से सहकारिता संचालनालय का गठन हुआ ।
2	1977	विभाग से खेलकूद एवं युवक कल्याण को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय खेलकूद एवं युवक कल्याण गठित हुआ ।
3	1986	विभाग से महिला एवं बाल विकास को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय महिला एवं बाल विकास गठित हुआ ।
4	1994	संचालनालय से प्रौढ शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई।
	2005	पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का नाम परिवर्तित कर पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय रखा गया।
5	2007	नवीन पंचायतराज संचालनालय का गठन होने से सामाजिक न्याय विभाग से पंचायतराज पृथक हो गया।
6	2008	सामाजिक न्याय संचालनालय से स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग को हस्तांतरित। जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों की सेवाएं एवं अंकेक्षण कार्य वित्त विभाग को सौंपा गया ।
7	2010	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन का दायित्व सामाजिक न्याय संचालनालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाकर सुधारात्मक सेवा की 26 संस्थाओं को मय अमले के महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित किया गया ।
8	2012	मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन
9	2013	विभाग का नाम सामाजिक न्याय से परिवर्तित कर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण किया गया।

विभाग की प्रशासकीय संरचना

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है ।

विभाग में संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रथम श्रेणी, सहायक संचालक द्वितीय श्रेणी एवं परिवीक्षा अधिकारी के साथ अन्य लिपिकीय वर्ग के पद स्वीकृत है :– संचालनालय का अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ मैदानी अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वर्तमान में संभागीय मुख्यालय के सात संभागो में क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं जिलो में उप संचालक सामाजिक न्याय अपने उपलब्ध अमले के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के तहत आयुक्त निःशक्तजन कल्याण कार्यालय संचालित है साथ ही मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति एवं दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति संचालित है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढॉचा

शासन स्तर

माननीय मंत्री
प्रमुख सचिव
उप सचिव
अनुभाग अधिकारी

विभागाध्यक्ष स्तर

आयुक्त

- मिशन संचालक मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
  - उप मिशन संचालक 3
- संचालनालय
  - अपर संचालक 1
  - संयुक्त संचालक 3
  - कार्यपालन यंत्री 1
  - उप संचालक 4
    - सहायक संचालक 11
    - सहायक संचालक संवर्ग 7
    - सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2
    - परिवीक्षा अधिकारी 2
- आयुक्त निःशक्तजन

संभाग स्तर

संभागीय संयुक्त संचालक– 7

जिला स्तर

उप संचालक–45
सहायक संचालक –27
सहायक संचालक तकनीकी संवर्ग–2
प्राचार्य/अधीक्षक शासकीय संस्थाएं–21
संभागीय व्यवस्थापक–6
व्याख्याता –48
परिवीक्षा अधिकारी–10

नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत

समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी–427

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दायित्व

समाज के गरीब, कमजोर, निर्धन, निराश्रित वरिष्ठजनों, नशापीड़ितों एवं दिव्यांगों के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग द्वारा शासकीय सस्थाओं के साथ–साथ इस क्षेत्र में कार्यरत् स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने व इनकी जनभागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं :–

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांग कल्याण योजनान्तर्गत दिव्यांग बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये पात्रतानुसार शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, आवास सहायता, पेंशन योजनाएं, आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय किये जा रहे है। इसके साथ–साथ दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं संचालित की जा रही है।

सामाजिक सहायता

प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन, वृद्ध, दिव्यांगजनों के साथ–साथ कन्याओं, कल्याणी (विधवाओं) और परित्यक्त, अविवाहित महिला को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिये पेंषन योजनाएं, विवाह सहायता/प्रोत्साहन, परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है।

समाज रक्षा

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के नियम 2009 का क्रियान्वयन। निराश्रित, उपेक्षित वरिष्ठजनों को संरक्षण, भरण–पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वृद्धाश्रमों का संचालन। वरिष्ठजनों को मनोरंजन एवं समाजिक सहभागिता हेतु डे–केयर सेंटर का संचालन।

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों यथा इंदौर एवं उज्जैन में प्रभावशील है। वर्तमान में एक भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर में स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है ।

अन्य कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रम अंतर्गत अन्त्योदय मेला, नशामुक्ति कार्यक्रम, कलापथक दल, जागरुकता अभियान, ट्रांसजेण्डर कल्याण, राज्य स्तरीय पुरस्कार इत्यादि संचालित है।

विभाग अंतर्गत प्रचलित अधिनियम/नियम

अधिनियम	नियम
दिव्यांगजन	
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016	मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017
• द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999	–
वृद्धजन	
• माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007	मध्यप्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियम 2009
ट्रांसजेण्डर	
• ट्रांसजेण्डर व्यक्ति(अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019	
अन्य	
• अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958	मध्यप्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम 1960
• मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973	मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम 1977
• मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 एवं संशोधित अधिनियम 2006	मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020

विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा–82 के प्रावधान अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में दिव्यांगजनो के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्ध स्वैच्छिक संस्था है। मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद/नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र–छात्राओं के लिए रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा हेतु ऋण, नवयुवक युवतियों के लिए युवा स्वावलम्बन योजना, व्यावसायिक/ट्रेनिंग कोर्स ऋण आबंटन हेतु बिना कोलेटरल गारन्टी के स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के लिए योजना प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश में यह नोडल एजेन्सी है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजन को ॠृण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में निम्नानुसार 4 पृथक–पृथक एजेन्सियों को चैनेलाइजिंग एजेन्सी के रूप में मनोनीत किया गया है :–

1.	म.प्र.विकलांग कल्याण तथा विकास समिति	सामान्य वर्ग के लिए
2.	अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	अनुसूचित जाति वर्ग के लिए
3.	आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	आदिवासी संवर्ग के लिए
4.	अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–19/34/2003/1/4 दिनांक 4 फरवरी, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश के निःशक्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद के माध्यम से भारत सरकार की मंशा अनुरूप प्रकरण तैयार कर लक्ष्य पूर्ण करने हेतु राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्ध संस्था है। यह समिति प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित है। इस समिति के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, दिव्यांग समग्र पुनर्वास की कार्यवाही, सामूहिक विवाह का आयोजन इत्यादि कार्यवाहियाँ की जाती है।

महत्वपूर्ण दिवस

सामाजिक न्याय एवं निःषक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रति वर्ष निम्न दिवसों का आयोजन किया जाता है :–

मद्य निषेध संकल्प दिवस	30 जनवरी
अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	26 जून
अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
मद्य निषेध सप्ताह	2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर
विश्व विकलांग दिवस	3 दिसम्बर

विभागीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
2. बहु विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
5. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7. मुख्यमंत्री निकाह योजना
8. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
9. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10. दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना
11. दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना
12. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
13. शत–प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना
14. दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस,निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
15. दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
16. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
17. दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
18. कलापथक दल–ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का प्रचार–प्रसार, जागरूकता के कार्यक्रम
19. वृद्धाश्रमों का संचालन/डे–केयर सेंटर/शतायु सम्मान

अन्य कार्यक्रम

- अंत्योदय मेलों का आयोजन
- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना
- मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण केन्द्रीय अनुदान योजना तथा जन–जागरुकता कार्यक्रम
- भिक्षुक केन्द्र का संचालन
- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों का संचालन
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)
- एडिप योजना का संचालन
- सिपडा योजना का संचालन
- अवेयरनेस जनरेशन एण्ड पब्लिसिटी स्कीम (ए.जी.पी.)
- वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरणों का वितरण
- समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSrC) केन्द्रीय अनुदान योजना।
- नशामुक्ति कार्यक्रम

विभागीय पुरस्कार

- इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार
- महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना
- विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार
- नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना

————————

भाग - 2

बजट प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2019–20

(राशि रूपये लाख में)

शीर्ष/योजना	कुल प्रावधान (अनुपूरक अनुमान सहित)	व्यय माह मार्च 2020 तक	प्रतिशत
आयोजना (9999)			
मांग संख्या 34–2235	7262.46	5447.39	75.01
मांग संख्या 53–2235	272.79	109.13	40.01
योग (9999)	**7535.25**	**5556.52**	**73.74**
आयोजना			
मांग संख्या–34+53+64			
0101, 0701 एवं 0801– राज्य आयोजना सामान्य	148647.96	138441.10	93.13
0102, 0702 एवं 0802– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	68082.16	62910.74	92.40
0103, 0703 एवं 0803– अनुसूचित जाति उपयोजना	72321.72	67463.73	93.28
योग	**289051.84**	**268815.57**	**93.00**
कुल योग	**296587.09**	**274372.09**	**92.51**

जेण्डर बजट

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार महिलाओं को लाभांवित किया जाता है, तथापि विभाग द्वारा निम्न योजनाएं मुख्यतः महिलाओं के लिए संचालित हैं :–

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री निकाह योजना
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्ध, विधवा, अविवाहिता, परित्यक्त महिलाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

उक्त योजनाओं में शत–प्रतिशत राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग संबंधित जेंडर मुद्दे, जेंडर गेप, जेंडर विषयक प्रमुख मानकों (Index) की स्थिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से जेंडर मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यो मे कोई गेप नहीं है।

जेंडर मुद्दो पर विभागों द्वारा पहल (initiative)

विभाग द्वारा जेंडर मुद्दों संबंधी संचालित योजनाओं में शत–प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यतः विवाह, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केस स्टडी एवं गुड प्रेक्टिस

विभाग द्वारा अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल भोपाल के माध्यम से व्यवहार्यता (feasibility) केस स्टडी कराई गई है।

आगामी रणनीति

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जेण्डर मुद्दों पर द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत योजनाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

वित्त विभाग द्वारा विभागीय योजनायों को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी शत–प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 40 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत प्रावधान वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा श्रेणीवार योजनायें निम्नानुसार है:–

(राशि लाख में)

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान वर्ष 2019–20	जेंडर बजट का प्रतिशत	व्यय वर्ष 2019–20		हितग्राही वर्ष 2019–20	
			महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
प्रथम श्रेणी (100 प्रतिशत)						
6692–मुख्यमंत्री निकाह योजना	1659.37	100	1015.73	0	1545	0
6710–मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	31506.17	100	20291.25	0	35466	0
5863–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	36122.00	100	35547.42	0	536412	0
द्वितीय श्रेणी (40 प्रतिशत)						
5859–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना	6824.35	40	2652.17	3978.25	39970	59955
6690–माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	40	0.11	0.16	-	-
7084–राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	5901.17	40	1714.28	2571.43	6471	9707
8786–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	102983.87	40	40680.74	61021.11	627850	941775
9142– समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	87936.84	40	35174.73	52762.09	857932	1286898
0073–अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	1170.00	40	370.56	555.83	-	-
0075–अंध मूक बधिरों को वृत्तियॉ	791.84	40	105.47	158.21	-	-
6693–कन्या अभिभावक पेंशन योजना	3867.47	40	1375.97	2063.95	22208	33312
तृतीय श्रेणी (30 प्रतिशत)						
6694–कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	186.41	30	25.03	58.41	1916	2874
7083–अंत्येष्टि योजना	27.29	30	4.88	11.40	177	266
कुल	**278985.08**	-	**138958.34**	**123180.84**	**2129947**	**2334787**

विभागीय संचालित योजनाओं में बंटन एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2019–20

आयोजना **(राशि रूपये लाख में)**

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2019–20 अनुपूरक/पुनर्वि नियोजन सहित कुल प्रावधान	व्यय दि. 31.03.20	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	{0075}	अंध मूक बधिरो को वृत्तिया	791.84	263.69	33.30
2	{0073}	अंध मूक बधिर शालाओ को अनु. 002	1170.00	926.39	79.18
		बहु विकलांग को सहायता–007	5247.06	4841.98	92.28
3	{4114}	विश्व विकलांग वर्ष	46.37	33.31	71.84
4	{8786}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन	102983.87	101701.85	98.76
5	{7084}	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	5901.17	4285.71	72.62
6	{5863}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	36122.00	35547.42	98.41
7	{5859}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	6824.35	6630.42	97.16
8	{6710}	मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना	31506.17	20291.25	64.40
9	{9142}	सामाजिक सुरक्षा पेशन	87936.84	87936.83	100.00
10	{6306}	आयुक्त निशक्तजन कार्या.के वेतन भत्ते	46.69	11.22	24.03
11	{5259}	इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार	10.36	10.13	97.78
12	{5758}	कुशाभाउ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना	0.01	0.00	0.00
13	{6554}	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	155.56	72.86	46.84
14	{0079}	दृष्टि एवं श्रवण बाधि.शालाये संस्थाये(वेतन भत्ते)	2194.50	1397.11	63.66
15	{6677}	भिक्षुक गृह की स्थापना	0.01	0.00	0.00
16	{6686}	वृद्वजन हेतु एकीकृत कार्यक्रम	0.01	0.00	0.00
17	{6688}	नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रो की स्थापना	0.01	0.00	0.00
18	{6690}	माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	0.27	3.25
19	{6691}	दधीचि पुरस्कार योजना	3.64	0.00	0.00
20	{6692}	मुख्यमंत्री निकाह योजना	1659.37	1015.73	61.21
21	{6693}	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	3867.47	3439.92	88.94
22	{6694}	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	186.41	83.45	44.77
23	{7083}	अन्त्येष्टि सहायता योजना	27.29	16.29	59.69
24	{7435}	मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग आयोग	0.01	0.00	0.00
25	{2083}	निःशक्तजनों को बी.एड./बी.पी.एड	8.74	0.00	0.00
69	{2084}	श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई.प्रशिक्षण	200.05	35.59	17.79
27	{6584}	अंत्योदय मेलों का आयोजन	841.32	0.00	0.00
28	{7569}	निःशक्तजनों को बाधारहित वातावरण	1087.42	274.15	25.21
29	{9477}	नशीली दवा की मांग मे कमी लाने के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना का क्रियान्वयप	225.00	0.00	0.00
30	{9470}	महात्मा गांधी कुष्ठ सेवा पुरस्कार	0.00	0.00	0.00
31	{9472}	ट्रांसजेण्डर का कल्याण एवं पुनर्वास	0.00	0.00	0.00
		योग	**289051.84**	**268815.57**	**93.00**

विभागीय संचालित योजनाओं में आबंटन एवं व्यय वर्ष 2019–2020
आयोजना (9999)

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2019–20	व्यय दि. 31.03.20	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	{2304}	निर्देशन और प्रशासन	5700.78	4203.76	73.74
2	{5663}	निर्धन वर्ग कल्याण आयोग	60.55	1.26	2.08
3	{3098}	भिक्षुक प्रवेश केन्द्र तथा कर्मशाला	31.39	28.14	89.65
4	{0795}	कलापथक	1014.02	816.94	80.56
5	{1985}	दूरदर्शन कार्यक्रम	390.90	345.55	88.40
6	{5258}	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ	64.82	51.74	79.82
7	{2245}	नशाबंदी कार्यक्रम	272.79	109.13	40.01
		योग	**7535.25**	**5556.52**	**73.74**

भाग - 3

विभागीय कार्यक्रम

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 प्रदेश में प्रभावशील है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुर्नवास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

मध्यप्रदेश में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में 234 विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें से सहायक अनुदान योजनांतर्गत 38 स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सूची परिशिष्ट में।

उक्त संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2019–20 में रूपये 1170.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध मार्च 2020 तक 926.39 लाख व्यय किया गया।

केन्द्रीय अनुदान

दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षण–प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित रू. 975.82 लाख के सहायक अनुदान संबंधी 35 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

कुष्ठ कल्याण योजना

कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में 3 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2019–20 में रूपये 64.82 लाख का बजट प्रावधान अंतर्गत मार्च 2020 तक 51.74 लाख का व्यय किया गया। 108 कुष्ठ परिवार लाभान्वित हुए हैं।

दिव्यांग पेंशन योजना

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को रुपये 600/– प्रतिमाह प्रति हितग्राही की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

2. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो एवं परिवार आयकरदाता न हो, उनको प्रतिमाह रुपये 600/– की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

बहुविकलांग एवं मानसिक रुप से निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी एवं बहुविकलांग को रूपये 600/–(रूपये पांच सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत माह मार्च 2020 तक 75,514 दिव्यांगजन लाभांवित हुये है।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

दम्पत्ति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं दोनों के दिव्यांग होने पर रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) एक मुश्त सहायता राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय निराश्रित निधि से किया जाता है, यदि दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रूपये 51,000/– अतिरिक्त सहायता दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12.8.2008 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत मार्च 2020 तक 1118 हितग्राही लाभांवित हुये है।

दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन

दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु वर्ष 2008 से राज्य द्वारा टोल फ्री दूरभाष हेल्प लाईन नंबर 1800–233–4397 निरंतर संचालित है, केन्द्र सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन नम्बर 1800- 233- 5956 प्रारंभ किया है।

विभिन्न योजनाओं में लाभांवित हितग्राही

क्रमांक	योजना	हितग्राही	
		वित्तीय वर्ष 2018–19 में मार्च 2019 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 की स्थिति में
1	छात्रवृत्ति	48,695	34,334
2	शिक्षा प्रोत्साहन योजना • लेपटाप वितरण • मोट्रेट साईकिल वितरण	336 555	118 439
3	उच्च शिक्षा हेतु फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	169	77
4	छात्रगृह योजना(आवास सहायता योजना)	81	122
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन	19	05
6	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण	13,470	5,065
7	दिव्यांग पेंशन	3,62,585	4,62,421
8	ऑटिज्म, सेरेबल पॉलसी, मानसिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगजनों को सहायता	74005	75514
9	नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन	1282	1118
10	यूडीआईडी कार्ड	3,06,979	371401

दिव्यांग विवाह में वर्षवार लाभांवित हितग्राही एवं व्यय की स्थिति

वर्ष	हितग्राही	व्यय (लाख में)
2008–09	103	25.75
2009–10	207	53.00
2010–11	738	144.82
2011–12	1141	286.96
2012–13	1775	369.77
2013–14	1514	498.50
2014–15	779	214.50
2015–16	1058	599.50
2016–17	1267	735.50
2017–18	1321	1016.50
2018–19	1282	1930.00
2019–20 (मार्च 2020)	1118	1962.50
योग	**12303**	**7837.3**

विश्व विकलांग दिवस

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के सामर्थ्य एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में रूपये 46.37 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर दिव्यांग बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद–विवाद, सांस्कृतिक, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण

दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु **43 दृष्टिबाधित** तथा **79 श्रवण बाधितों** को इस प्रकार कुल **122 निःशक्तजनों** को विभिन्न ट्रेड में प्रवेशित कराया गया है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में श्रवण बाधितों हेतु **6 Interpreters** की व्यवस्था की गई।

इन आई.टी.आई. में विभिन्न ट्रेड्स यथा कोपा, एम.ओ.एम., विद्युत, प्रोडक्शन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स, सिविल, फैशन डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, आफिस असिस्टेंट आदि ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाता है।

मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

सहायता का स्वरूप

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री	पात्रता शर्तें
दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मंदबुद्धि	लेपटॉप	**9वीं में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होन पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)**
अस्थिबाधित	लेपटॉप	**9वीं में प्राप्तांक 60 प्रतिशत होन पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)**
अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता)	**मोट्रेट ट्रायसिकल (बैटरी चलित)**	**10 वीं प्रथमबार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर (एक ही बार)**

नोट : दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा 10 में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटाप प्राप्त करने पर आईटीआई में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं आयेगी।

निराश्रित निधि

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 संशोधित 1994, 2006 एवं नियम 2013 बनाये गये हैं, इन नियमों की कुछ कण्डिकाओं में संशोधन किया जाकर राजपत्र दिनांक 3 जनवरी 2020 प्रकाशित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत कृषि उपज पर क्रेताओं से संग्रहित निराश्रित शुल्क की राशि का निराश्रितों पर व्यय प्रावधानित किया गया है।

प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है –

- **(नियम 3) में उपनियम (2)(1) खण्ड(दो)** 'दिव्यांग व्यक्ति' से अभिप्रेत है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय–एक की धारा 2 की उपधारा (य ग) के अधीन उल्लेखित दिव्यांगता के किसी प्रकार में से अधिनियम के अध्याय–एक की धारा 2 के खण्ड (द) में यथा परिभाषित।
- **(नियम 5) में उपनियम (3)** अशासकीय भूमि के मामले में सरकार के नाम पर उसे रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा तथा सरकार के पक्ष में न्यूनतम दर पर लीज निष्पादित की जाएगी ।
- **(नियम 6) (1) के उपनियम (3)** कलेक्टर द्वारा पूर्व में अनुमोदित नक्शे तथा विशेषताओं में कलेक्टर की अनुमति के बिना निर्माण एजेंसी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- **(नियम 6) (2) के उपनियम (4)** 10.00 लाख रूपये तक के भवनों के निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा तथा 1.00 करोड रूपये तक के नवीन निर्माण के लिए आयुक्त/संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा प्रशासकीय और वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जाएगा तथा 1.00 करोड रूपये से अधिक की लागत के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
- **(नियम 6) (3) के उपनियम (7)** भवन निर्माण के लिए अनुदान पूर्व में स्वीकृत की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र, फोटोग्राफ तथा निर्धारण पत्र के आधार पर निराश्रित निधि ई–भुगतान तथा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ईपीओ द्वारा या चैक द्वारा 40:40:20 की तीन किश्तों में स्वीकृत किया जाएगा।
- **(नियम–6) (5)** भवन निर्माण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है ।
- **(नियम–6) (6)** भवन के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु राजधानी परियोजना प्रशासक/म0प्र0 गृह निर्माण तथा अधोसंरचना विकास मंडल को सम्मिलित किया गया है ।
- **(नियम 8) (2)** निराश्रितों के लिए वृद्धाश्रम/विशेष स्कूल/छात्रावास और केन्द्रों की स्थापना करते समय फर्नीचर, पलंग, बिस्तर, टेबल, कुर्सी, खाना पकाने के बर्तन, दैनिक उपयोग के बर्तन, टेलीविजन एवं

कम्प्यूटर आदि भण्डार क्रय नियमों के अधीन निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित दरों पर अनावर्ती मद में कलेक्टर द्वारा क्रय किए जाएंगे,

परंतु कलेक्टर 5 वर्ष पश्चात, आवश्यकता के अनुसार पलंग, टेलीविजन, कम्प्यूटर आदि जिन्हें बदले जाने की आवश्यकता हो, उन्हें क्रय कर सकेगा/बदल सकेगा।

परंतु यह और की वस्त्र,बिस्तर (तकिया,कम्बल/रजाई, चादर आदि), खाना पकाने के बर्तन एवं दैनिक उपयोग के बर्तन आदि आवश्यक के अनुसार प्रत्येक वर्ष क्रय किए/बदले जा सकेंगा।''।

- **('नियम–8) (3)** आश्रम में निवासरत अंतःवासियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में रू. 20,000/– (बीस हजार) की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी।
- **('नियम 10) (4)** प्रयोजक को बिजली, पानी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- **('नियम 10) (7)** कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर किसी अंतःवासी के इलाज पर अधिकतम रू. 5,000/– प्रतिवर्ष व्यय स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है ।
- **नियम 11(ख)** सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन से, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत म0प्र0 राज्य बीमारी तथा स्थायी निःशक्तता निधि के अंतर्गत चिन्हित शल्य क्रिया तथा अंगमर्दिका के उपचार के लिए कलेक्टर द्वारा रू. 5 लाख तक की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की जा सकेगी ।
- **नियम 11(1) खण्ड (ञ)** निराश्रितों से संबंधित शासकीय संस्थाओं की अवसंरचना के सुधार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करना तथा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन संस्थाओं के अनुरक्षण पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करना।
- **नियम 11(2) खण्ड (ठ)** **नियम 3** में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर, पैथोलाजी टेस्ट जैसे, एक्स–रे, सी.टी.स्केनिंग, एम.आर. आई, एंजियोग्राफी, टी.एम.टी., इको–कार्डियोग्राफी के लिये रू. 10,000/–स्वीकृत कर सकेगा ।
- **नियम 11(2) खण्ड (ड)** नियम 3 में उल्लेखित निराश्रित को पेंशन, आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- **नियम (12) उपनियम (1)** ''नियम 11 के प्रयोजन के लिए, संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विहित भुगतान प्रक्रिया के अनुसार निराश्रित निधि में से एक बार में

या एक माह के भीतर रूपये 25,000/–तथा निराश्रित निधि ई–भुगतान तथा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पूरे वित्तीय वर्ष में अधिकतम रूपये 2.50 लाख की सीमा तक ब्याज की रकम का उपयोग कर सकेंगे''।

- **नियम (12) उपनियम (2)** ''कलेक्टर, नियम 11 के प्रयोजन के लिए किसी एकल एकल संस्था/अभिकरण के प्रबंधन या कार्य के लिए निराश्रित निधि की जमा पर अर्जित ब्याज की रकम एक बार में दो लाख रूपये की सीमा तक विहित प्रक्रिया के अनुसार निराश्रित निधि ई–पेमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कर सकेगा। उक्त रकम से अधिक के विहित खर्च/आहरण के लिए प्रस्ताव, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की लिखित सहमति प्राप्त होने पश्चात ही मंजूर किया जा सकेगा''।
- **नियम (12) उपनियम (3)** '' नियम 11 में उल्लिखित (क) से (ठ) तक के प्रयोजनों के लिये, निराश्रित निधि की मूल/ब्याज की रकम के उपयोग के लिये कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण 10 लाख रूपये की सीमा तक मूलधन/ब्याज की राशि से निराश्रित निधि ई–भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से व्यय करने की मंजूरी दे सकेगा तथा उक्त रकम से अधिक की दशा में, मंजूरी राज्य शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दी जायेगी। परंतु नियम 11 के खण्ड (ड) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये व्यय की स्वीकृति केवल राज्य शासन द्वारा दी जा सकेगी। ''
- **नियम (12) उपनियम (4)** ''सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा कृषि उपज मंडियों से प्राप्त होने वाली राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक खाते में जमा होगी तथा जिला कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ई.पी.ओ. के माध्यम से इस खाते को संधारित करेंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट से लेखा रिपोर्ट तैयार कराकर तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा इसकों भेजेंगे तथा महालेखाकार परीक्षक के कार्यालय द्वारा अनिवार्यतः लेखा संपरीक्षण करायेंगे।''
- **नियम (12) उपनियम (5)** '' नियम 11 के प्रयोजन के लिए, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण एक बार में अधिकतम रूपये 10.00 लाख की राशि तक ई.पी.ओ. को स्वीकृत कर संबंधित को ई–भुगतान कर सकेंगे। रूपये 10.00 लाख से अधिक के ई–भुगतान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।''।

- **नियम 13 (1)** आश्रम के किसी अंतःवासी की मृत्यु होने की दशा में उसका शव उसके परिवार के सदस्यों को या उसके निकटतम संबंधियों को सौंप दिया जाएगाः
  परन्तु यदि सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी 24 घंटे तक शव प्राप्त करने के लिए कोई संबंधी/व्यक्ति नहीं आता है या निराश्रित के परिवार का कोई सदस्य अथवा संबंधी नहीं है तो आश्रम में उपलब्ध निधि से उसकी अंत्योष्टि उसके धर्म के अनुसार की जाएगी किन्तु ऐसे व्यय रूपये 5000/–(पॉच हजार रूपये मात्र) से अधिक का नहीं होगा।
- **नियम 13 (2)** कलक्टर द्वारा ऐसे व्यक्ति के शव की, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहा हो एवं जो निराश्रित की परिभाषा में आता हो, अंत्येष्टि हेतु निराश्रित निधि में से 5000/–(पॉच हजार रूपये) के व्यय की मंजूरी दी जा सकेगी।
- **नियम 13 क आपात्कालीन सहायता** –निःशक्तजन, निराश्रित एवं वृद्ध व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उपचार एवं जीवन निर्वाह हेतु तत्काल आपात्कालीन सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता होने पर, सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री के अनुमोदन पर राज्य निराश्रित निधि से ई–भुगतान के माध्यम से रूपये 5000/–(पॉच हजार रूपये मात्र) तक की आर्थिक सहायता, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा प्राधिकृत संचालनालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा निराश्रित निधि ई–भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रयोजन हेतु संगृहीत राशि का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा।''।
- **(नियम 14) (1)** कर्मचारीवृंद की नियुक्ति (क) वृद्धाश्रम, (ख) विशेष शाला, (ग) छात्रावास के उचित पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंध के लिए, आश्रम की आवश्यकता अनुसार सरकार द्वारा अवधारित दर के अनुसार पदों को संविदा आधार पर भरे जाने हेतु कलेक्टर अग्रसर हो सकेगा ।
- **नियम (19) (1)** (क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किये जायें अर्थात :–
  ''(कक) **निराश्रित निधि खाता**–निराश्रित निधि के लिये राज्य स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता संचालित किया जाएगा।
  (कख) मंडियों से प्राप्त होने वाली समस्त आय राज्य स्तरीय सिंगल बैंक खातें में ही जमा होगी।
  (कग) जिलावार प्राप्त समस्त आय एवं व्यय का पृथक–पृथक लेखांकन संचालनालय स्तर पर किया जायेगा।जिसमें ब्याज से प्राप्त आय संबंधित जिले की मंडियों से प्राप्त आय के अनुपात में जिलावार विभाजित कर लेखांकित की जायेगी।

(कघ) नियम 11 में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए निराश्रित निधि के राज्य स्तरीय खाते से ही निराश्रित निधि ई–भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली पर ई.पी.ओ. के माध्यम से नियम 12 में उल्लेखित सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् किया जायेगा।''।

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्न लिखित खंड स्थापित किया जाए अर्थात :–

''(ख) उपरोक्त कंडिका (कख) के अनुसार प्राप्त आय की कुल 20 प्रतिशत राज्य निराश्रित निधि के रूप में लेखांकित की जाएगी तथा इसी अनुपात में राज्य निराश्रित निधि की ब्याज को भी लेखांकित किया जायेगा।''।

(घ) खंड (ङ) के स्थान पर निम्न लिखित खंड स्थापित किया जाए अर्थात :–

''(ङ) निराश्रित निधि के राज्य स्तरीय खाते, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा संचालित किया जाएंगे''।

- **नियम (19)** (2) खण्ड (ख) निराश्रित निधि में जमा रकम तथा उसके व्यय वित्तीय वर्ष के अवसान के तीन माह की कालावधि के भीतर चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षित की जाएगी तथा मध्यप्रदेश महालेखाकार संपरीक्षक के कार्यालय से भी अनिवार्यतः लेखा संपरीक्षण कराना होगा।''।

जिलों हेतु निराश्रित निधि के अनुमोदित बजट अनुसार प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर राशि के व्यय हेतु कलेक्टर स्वयं सक्षम होंगे।

निराश्रित निधि के माध्यम से संचालित कार्यक्रम

- निराश्रितों के लिये वृद्ध आश्रमों/डे–केयर सेंटर की स्थापना एवं संचालन।
- निःशक्त बच्चों के लिये रहवासी अथवा गैर रहवासी विशेष शालाओं की स्थापना/संचालन तथा निराश्रितों एवं निर्धनों के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ।
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन।
- शत प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना संचालन।
- कृत्रिम अंग सहायक उपकरणों का प्रदाय।
- जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों का संचालन।
- मानसिक बीमारी के इलाज पश्चात डिस्चार्ज व्यक्तियों के लिए लांग स्टे होम की स्थापना व संचालन।
- निराश्रितों के कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय, निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्यशाला सेमीनार, प्रदर्शन, चलित इकाइयों की स्थापना समुदाय आधारित पुनर्वास योजना आदि।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत सरकार के कार्यक्रम

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्वजनों को उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3–1/2019/26–2 भोपाल दिनांक 13–02–2019 द्वारा बड़ी हुई दर से माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से राशि रूपये 600/– पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश है। भारत सरकार के निर्धारित स्टेट कैप के अतिरिक्त 4,21,044 हितग्राहियों को राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभांवित किया जा रहा है।

1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रुपये 200/– केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 400/– (राज्यांश) इस प्रकार **कुल राशि रूपये 600/–** प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रुपये 500/– केन्द्रांश एवं राशि रूपये 100/– राज्यांश इस प्रकार **कुल राशि रूपये 600/–** प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।

योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019–2020	102983.87	101701.85	15,69,627

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को प्रतिमाह राशि रुपये 300/– केन्द्रांश एवं राशि रूपये 300/– राज्यांश इस प्रकार **कुल राशि रूपये 600/–** प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3–1/2019/26–2 भोपाल दिनांक 13–02–2019 द्वारा बड़ी हुई दर से माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से राशि रूपये 600/– पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश है। भारत सरकार के निर्धारित स्टेट कैप के अतिरिक्त 4,59,105 हितग्राहियों को राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभांवित किया जा रहा है।

योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019–2020	36122.00	35547.42	5,36,412

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता 80 प्रतिशत या अधिक हो, को प्रतिमाह राशि रुपये 300/– केन्द्रांश एवं राशि रूपये 300/– राज्यांश इस प्रकार **कुल राशि रूपये 600/–** प्रतिमाह प्रति हितग्राही भुगतान किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3–1/2019/26–2 भोपाल दिनांक 13–02–2019 द्वारा बड़ी हुई दर से माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से राशि रूपये 600/– पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश है। भारत सरकार के निर्धारित स्टेट कैप के अतिरिक्त 16,653 हितग्राहियों को राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभांवित किया जा रहा है।

योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019–2020	6824.35	6630.42	99,924

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना** दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री/पुरूष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/–की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019–2020	5901.17	4285.71	21428

प्रदेश सरकार के कार्यक्रम

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** योजना संचालित की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3–1/2019/26–2 भोपाल दिनांक 13–02–2019 द्वारा बड़ी हुई दर से माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से राशि रूपये 600/– पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश है।

पात्रता के मापदण्ड

1. 60 वर्ष से अधिक आयु के **निराश्रित वृद्ध**
2. 18 वर्ष से अधिक आयु की **विधवा (कल्याणी),** जो आयकरदाता न हो
3. 50 वर्ष से अधिक आयु की **अविवाहिता,** जो आयकरदाता न हो
4. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की **परित्यक्त** महिलाएं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो
5. 6 वर्ष से अधिक आयु के **दिव्यांगजन** जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं जो आयकरदाता न हो
6. **वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी** जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।

पेंशन की दर : रुपये 600/– प्रतिमाह प्रति हितग्राही

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला बडवानी में नेत्र संक्रमित 58 हितग्राहियों को रूपये 5000/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदाय की जा रही है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 की स्थिति में राशि रूपये 87936.83 लाख का व्यय बजट से एवं दिनांक 05 अक्टूबर 2019 में मंत्रि–परिषद के निर्णय अनुसार राशि रूपये 74147.50 लाख का व्यय निराश्रित निधि से इस प्रकार कुल राशि रूपये 162084.33 लाख का व्यय किया गया है। माह मार्च 2020 की स्थिति में 2346906 हितग्राही लाभांवित।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो, को मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3–1/2019/26–2 भोपाल दिनांक 13–02–2019 द्वारा बड़ी हुई दर से माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से राशि रूपये 600/– पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश है। योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019–2020	3867.47	3439.92	57,790

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता

यह योजना प्रदेश में 18.06.2009 से प्रभावशील है। मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है।

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3–1/2019/26–2 भोपाल दिनांक 13–02–2019 द्वारा बड़ी हुई दर से माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से राशि रूपये 600/– पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश है। योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019–2020	5247.06	4841.98	75514

अन्त्येष्टि सहायता योजना

योजना 13 अगस्त 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत मृतक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य होने पर एवं लावारिस शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार हेतु राशि रूपये 3000/– की सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019–2020	27.29	16.29	543

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**'' 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

सहायता

शासन आदेश क्रमांक/एफ 3–39/2017/26–2 भोपाल दिनांक 14.01. 2019 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना में निम्नानुसार संशोधन किये गये है :–

- योजनांतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थित अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रूपये 3000/–प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000/–संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में इस प्रकार कुल राशि रूपये 51000/– प्रति कन्या प्रदाय किये जाने का प्रावधान है!
- सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन नहीं है।
- आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह में कन्या विवाह सहायता राशि दी जाये।

प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2006 से मार्च 2020 तक कुल 5,40,267 कन्याओं के विवाह संपन्न कराया जाकर राशि रूपये 108854.53 लाख की आर्थिक सहायता प्रदाय की गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत वर्षवार आवंटन, व्यय एवं लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार तालिका में वर्णित है :–

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2006-2007	1000.00	1327.00	13,498
2007-2008	1920.00	1362.00	33,321
2008-2009	2618.00	4329.00	43,737
2009-2010	2500.00	2485.00	19,597
2010-2011	3801.00	3964.70	39,647
2011-2012	4201.00	4156.40	36,651
2012-2013	6787.80	6787.80	45,252
2013-2014	12592.00	10452.22	55,334
2014-2015	10915.00	6074.59	20,077
2015-2016	20679.20	11775.29	44,835
2016-2017	15436.81	11204.87	44,818
2017-2018	15000.00	9644.88	34,446
2018-2019	15000.00	14999.53	50,154
2019-2020 (मार्च 2020)	31506.17	20291.25	42,088
कुल	**143956.98**	**108854.53**	**523455**

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को वर्ष 2020 का कैलेण्डर

क्र.	माह	दिनांक	दिन	रिमार्क
1	जनवरी 2020	30.01.2020	गुरूवार	बसंत पंचमी
2	फरवरी 2020	01.02.2020	शनिवार	नर्मदा सप्तमी
3	अप्रैल 2020	26.04.2020	रविवार	अक्षय तृतीय
4	मई 2020	07.05.2020	गुरूवार	वैषाखी पूर्णिमा
5	जून 2020	01.06.2020	सोमवार	गंगा दषहरा
		29.06.2020	सोमवार	भडली नवमी
6	नवम्बर 2020	25.11.2020	बुधवार	तुलसी विवाह, देवउठनी एकादषी
7	दिसम्बर 2020	11.12.2020	शुक्रवार	उत्पन्न एकादषी
		19.12.2020	शनिवार	विवाह पंचमी

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है । मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है । योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रुपये 51,000/— प्रदान की जाती है। जिसमें 48000 रूपये कन्या के बचत खाते में तथा 3000 रूपये आयोजक के खाते में जमा कराये जाते है।

मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2012—2013	200.00	260.90	1,766
2013—2014	800.00	474.60	2,579
2014—2015	200.00	123.25	1,248
2015—2016	500.00	381.31	2,139
2016—2017	900.00	329.47	1,666
2017—2018	1000.00	470.75	1,681
2018—2019	900.00	755.72	2,265
2019—2020 (मार्च 2020)	1659.37	1015.73	3049
कुल	**6159.37**	**3811.73**	**16393**

मुख्यमंत्री निकाह योजना को वर्ष 2020 का कैलेण्डर

क्र.	माह	दिनांक	दिन	रिमार्क
1	जनवरी 2020	05.01.2020	रविवार	–
2	फरवरी 2020	09.02.2020	रविवार	–
3	अप्रैल 2020	11.04.2020	शनिवार	–
4	मई 2020	30.05.2020	षनिवार	–
5	जून 2020	29.06.2020	सोमवार	–
6	जुलाई 2020	14.07.2020	मंगलवार	–
7	अक्टूबर 2020	12.10.2020	सोमवार	–
8	नवम्बर 2020	09.11.2020	सोमवार	–
9	दिसम्बर 2020	21.12.2020	सोमवार	–

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शासन के पत्र क्रमांक एफ/3–5/2018/26–2 भोपाल दिनांक 03.05.2018 से प्रदेश में प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की कल्याणी जो आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, को विवाह सहायता हेतु राशि रूपये 2,00,000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बंधन नहीं है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 तक 365 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा चुका है।

कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह सहायता योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

समाज रक्षा

वृद्धाश्रम

वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिये प्रदेश में वृद्धाश्रमों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इन वृद्धाश्रमों में उपेक्षित, निराश्रित एवं जरूरतमंद वरिष्ठजनों को आश्रय, भरण–पोषण, चिकित्सकीय परीक्षण, उपचार एवं मनोरंजन व पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वरिष्ठजनों को उनके जीवन के अंतिम पडाव में सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु अवसर प्रदान किया जा सके।

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील हैं। अधिनियम के अध्याय–3 में धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत वृद्धाश्रमों की स्थापना करने का प्रावधान नीहित है।

प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के माध्यम से **74 वृद्धाश्रम संचालित** हैं। संस्थाओं को निराश्रित निधि से अनुदान दिया जाता हैं। सूची परिशिष्ट में दर्शित है।

समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSrC)

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSrC) योजना अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण व संचालन, अल्जाइमर्स डिमेंशिया बीमारी से पीडित वरिष्ठ नागरिकों के लिये सतत देखभाल गृह, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रम, वरिष्ठजनों के लिये जागरूकता सृजन कार्यक्रम के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता हैं।

डे केयर सेंटर

वरिष्ठ नागरिकों को अवसाद से बचाने व दिन में समय व्यतीत करने तथा समूह में संवाद करने के लिये डे केयर सेंटर की स्थापना कर संचालन किया जा रहा हैं। डे केयर सेंटर में वरिष्ठजनों के मनोरंजन हेतु कैरम, शतरंज, पठन पाठन हेतु पुस्तके, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टी.व्ही. आदि की व्यवस्था होती हैं। इनका संचालन स्थानीय नगरीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाएं तथा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाता हैं। **प्रदेश में 83 डे केयर सेंटर संचालित हैं।** सूची परिशिष्ट में दर्शित है।

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील।
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा म0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009, अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 से प्रभावशील।
- धारा 7 (1) के तहत प्रदेश के समस्त जिलो के समस्त उपखण्डों में भरण पोषण अधिकरण गठित।
- धारा 15 (1) के तहत प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण गठित ।
- धारा 18 (1) के तहत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के समस्त जिला अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी के रुप में पदाभिहित।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने आयु अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अभिभावक में सगे और दत्तक माता–पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं ।
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबधितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है, जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं ।
- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/– का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं ।
- अधिकरण द्वारा मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/– प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है ।
- सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है तथा चिकित्सालयों में विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया गया है।

अधिकरणों द्वारा निराकृत प्रकरण :–

- दर्ज प्रकरण : 468
- निराकृत प्रकरण : 353
- लंबित प्रकरण : 115

मध्यप्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 (संशोधन)

- मध्यप्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 का नियम 21 में उप नियम (2) जोडकर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य परिषद् का गठन किया गया हैं।
- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियम 2(1) में खण्ड (घ) के पश्चात् (घ क) में 'म.प्र. शासन के अधीन कार्यरत् शासकीय विभाग, अर्द्ध शासकीय उपक्रम, बोर्ड, निकायों के अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता–पिता की उपेक्षा करते हैं, ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/– काटकर, भरण–पोषण भत्ता, आवेदक माता–पिता के बैंक खातें में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

वरिष्ठजन हेल्प लाईन

- वरिष्ठजनों हेतु टोल फ्री हेल्प लाईन नम्बर 1800–233–1253 दिनांक 11 जून 2018 से हेल्प एज इंडिया शाखा भोपाल के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत वरिष्ठजनों को आपातकालीन जैसे दुर्घटना, दुर्व्यवहार से बचाव की स्थिति में सेवा प्रदान की जाती है, यह सेवा बुजुर्गों की सहायता हेतु 24 घण्टे उपलब्ध है।
- सेवा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में 2974 हितग्राही को लाभांवित किया जा चुका है।

वरिष्ठजन रोजगार ब्यूरो

- ऐसे वरिष्ठजन जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा विभिन्न क्षेत्रों के संस्थाओं से सेवानिवृत्ति हो चुके है को उनकी रूचि एवं योग्यता के आधार पर पुनः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठजन पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठजन रोजगार ब्यूरो प्रारंभ किया गया है।
- योजना अंतर्गत 85 पंजीकृत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5 वरिष्ठजनों को रोजगार प्रदाय किया गया है।

पेड ओल्ड एज होम की स्थापना

- समाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा भोपाल में एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त पेड ओल्ड एज होम का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 100 वरिष्ठजनों को रहने की सुविधा होगी। पेड ओल्ड एज होम में आर्थिक रूप से सक्षम एकाकी वरिष्ठजन जिनके बच्चे साथ नहीं रहते, को सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है। जिसमें वातानूकूलित कक्ष, लायब्रेरी, मनोरंजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, फिजीयोथेरेपी कक्ष, मेडीकल स्टोर, ए.टी.एम. जैसी अनेक सुविधाऐं होगी। पेड ओल्ड एज होम लिंक रोड नम्बर 3 पर पांच एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि रूपये 10.83 करोड होगी।

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज में नशा सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर युवा वर्ग को नशे की लत से दूर करने के लिये प्रचार–प्रसार के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को बताया जाकर, नशामुक्ति के लिये वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस हेतु कलापथक दलो के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलामण्डलियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयो, महाविद्यालयों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत, 31 मई 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस', 26 जून 'अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस' 2 से 8 अक्टूबर 'मद्य निषेध सप्ताह' तथा 30 जनवरी को 'संकल्प दिवस' का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया। इस अवसर पर मैराथन दौड, रैली, नशामुक्ति प्रदर्शनी, विज्ञापन तथा शासकीय कलापथक दल द्वारा सांस्कृति कार्यक्रमों के माध्यम से जगजागृति के कार्यक्रम आयोजित कराये गये है।

प्रदेश को नशामुक्त करने के लिये उक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित कर, जनजागरण का वातावरण तैयार किया गया है। 31 मई विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, 26 जून अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, 2से 8 अक्टूबर मद्यनिषेध सप्ताह तथा 30 जनवरी मद्यनिषेध संकल्प दिवस का, वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यक्रम यथा सेमीनार/संगोष्ठी 767, रैली/प्रभात फेरी 5391, नुक्कड नाटक 2380, प्रदर्शनी 367, प्रतियोगिताएं 482, स्वास्थ्य शिविर 227 तथा अन्य कार्यक्रम 427 कुल 10041 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 813977 जनसामान्य लाभांवित हुए।

कलापथक दलों द्वारा नशामुक्ति योजना तथा अन्य योजनाओं पर आधारित नुक्कड नाटक एवं गीतों के माध्यम से दिनांक 15 नवम्बर 2019 से 31 मार्च 2020 तक प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

नशामुक्ति के लिये सघन प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिये विभागीय मान्यता प्राप्त 215 स्वैच्छिक संस्थाएॅ कार्यरत् हैं। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 20 नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र संचालित है।

कलापथक कार्यक्रम

प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमो जैसे लोकगीत लोकनाट्य एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहॅुचाने के उद्देश्य से वर्ष 1955 से निरंतर विभाग में कलापथक योजना संचालित है। योजना के तहत प्रदेश के 38 जिलो में एक कलापथक इकाई कार्यरत है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कलापथक दल में एक प्रमुख कलाकार एवं सात सहयोगी कलाकार रहते है। जिसमें प्रत्येक दल को प्रति माह में कुल 12 कार्यक्रम प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को, जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हो, को कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरणों पर परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश पारित किया जाता है तथा निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने का आदेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं।

भिक्षावृति निवारण योजना

मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1973 प्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 3.2.2018 से प्रभावशील है। प्रदेश में एक भिक्षुक प्रवेश गृह एवं प्रमाणित संस्था इन्दौर में संचालित हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2019–20 में कुल 15 भिक्षुकों को लाभांवित किया गया।

शतायु सम्मान

1 अक्टूबर 2019 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वृद्धजनों को **शतायु सम्मान** से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में निम्न तालिका अनुसार वरिष्ठजनों को सम्मानित किया गया :–

क्र	विवरण	वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20		
		महिला	पुरूष	योग	महिला	पुरूष	योग
1	जिलों में आयोजित कार्यक्रम	104	61	165	100	76	176
2	राज्य स्तरीय कार्यक्रम	6	1	7	12	2	14

पुरस्कार योजनाएं

नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना

योजना 16 फरवरी 2018 से प्रारंभ है। प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत जहां निवासरत युवा, वृद्ध तथा महिलाएं नशामुक्त जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसी नशामुक्त ग्राम पंचायत को नशामुक्ति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार राशि रूपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र (प्रति जिला प्रति पंचायत) दिया जाता है।

योजना के लाभ हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करते है। कुल प्राप्त प्रविष्ठियों में से निर्णायक मण्डल द्वारा नशामुक्ति की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत का चयन पुरस्कार हेतु किया जाता है। चयनित ग्राम पंचायत को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कार राशि व प्रशंसा पत्र दिया जाने का प्रावधान है।

विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार

नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान करने की योजना संचालित है। नशामुक्ति की दशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी/स्वैच्छिक संगठन को विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर राशि रुपये 10 हजार, राज्य स्तर पर रुपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना

राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/संस्था को निःशक्त कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना दिनांक 14.8. 2008 से प्रारंभ की गई है। उक्त पुरस्कार विकलांगता की चारों श्रेणियों अस्थिबाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता के क्षेत्र में पृथक–पृथक प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप रूपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रूपये 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार रूपये 25 हजार, शाल श्रीफल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/संस्थाओं को प्रतिवर्ष एक राज्य स्तरीय समाज सेवा पुरस्कार देने की योजना है। प्रदेश में निवास कर रहे दिव्यांग, वृद्ध, दुर्बल एवं निराश्रित निर्धन, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं/संस्थाओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने एवं महिमा मंडित करने के उद्देश्य के तहत राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रुप में राशि रूपये 10 लाख एवं प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओ के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010

मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2010 से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की 16 सेवाओं को इस अधिनियम में अधिसूचित किया गया है।

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**7.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
2	**7.2 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
3	**7.3 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत		ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व		कलेक्टर
4	**7.4 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
5	**7.5 राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
6	**7.6 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	**7.7 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अ) सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन ब) गैर– सामूहिक विवाह करने पर लाभ प्रदान करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
8	**7.8 मुख्यमंत्री निकाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
9	**7.9 मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना**	संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
10	**7.10 निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना**	संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
11	**7.11 मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना**	संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	**7.12 छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
13	**7.13 निःशक्त विद्यार्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना**	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
14	**7.14 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना**	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	07 कार्य दिवस	कलेक्टर
15	**7.17 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीयन**	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
16	**7.18 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण**	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

नोट :– सेवा क्रमांक 7.15 में संशोधन तथा 7.16 एवं 7.19 को विलोपित करने हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग को लिखा गया है।

आयुक्त निःशक्तजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में श्री संदीप रजक, आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ है।

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश को अधिनियम के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के कृत्य निम्नानुसार है :—

- स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंधों या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत है और आवश्यक सुधारकों उपायों की सिफारिश करेगा,
- स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले उठायेगा,
- इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की समीक्षा करेगा,
- उन कारकों का पुरर्विलोकन करेगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते है तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करेगा,
- दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करेगा, और
- ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

अधिनियम की धारा 82 के अनुसार आयुक्त निःशक्तजन की शक्तियां

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना,

(ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना,

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, और

(ड) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

दिव्यांगजनों की प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों का निराकरण

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के न्यायालय में 189 प्रकरण इस वर्ष पंजीकृत हुए है। जिनमें सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है। जिला टीकमगढ, देवास, मण्डला, जबलपुर एवं धार में मोबाईल कोर्ट का आयोजन कर दिव्यांगजनों के 738 प्रकरणों को निराकृत किया गया।

मध्यप्रदेष समग्र सामाजिक सुरक्षा मिषन

पात्रता से अधिकारिता की ओर बढते कदम...

राज्य शासन के विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करने एवं सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए विभिन्न योजनाओं के एकीकृत पटल की स्थापना के उददेश्य हेतु मध्यप्रदेश की विधानसभा में दिनांक 14 मई 2010 को **'संकल्प क्रमांक–37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम'** पारित किया गया।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों व सदस्यों का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया गया। समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, पंजीकृत श्रमिकों, दिव्यांगजनों के साथ–साथ कन्याओं, कल्याणियों और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों, सम्पूर्ण परिवार एवं सदस्यों को पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं जैसे कि– पेंषन, छात्रवृत्ति एवं षिक्षा प्रोत्साहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ संबंधित विभाग द्वारा दिया जा रहा हैं।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्धेश्य

- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकृत करना तथा समस्त हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारदर्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना तथा राज्य शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना और संधारित करना।
- हितग्राही के लिए यथा संभव एक ही स्थान पर सभी सुविधा मुहैया कराना।
- समय–समय पर मिशन के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों का अध्ययन, अनुसरण करना।
- राज्य शासन द्वारा सौंपे गये कार्य को मिशन के अन्तर्गत संचालित करना।

भाग - 4

सामान्य प्रशासनिक विषय

संसदीय कार्य

वर्ष में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजे गये ।

सूचना का अधिकार

विभाग की सभी योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में जनसामान्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। दिसम्बर 2019 की स्थिति में निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है :–

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
75	73	02

विभागीय स्थापना से संबंधित विषय

विभागाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत पद

1	आयुक्त / संचालक	आई.ए.एस.	1
2	मिशन संचालक	आई.ए.एस.	1
3	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	3
5	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	4
6	कार्यपालन यंत्री	प्रथम श्रेणी	1
7	सहायक संचालक संवर्ग	द्वितीय श्रेणी	18
8	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	2

क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद

1	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	7
2	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	45
3	प्राचार्य शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जबलपुर	प्रथम श्रेणी	1
4	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	27
5	सहायक यंत्री (स.संचा. तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
6	ज्येष्ट तांत्रिक सहायक	द्वितीय श्रेणी	1
7	अधीक्षक, भिक्षुक प्रवेश केन्द्र	द्वितीय श्रेणी	1

8	अधीक्षक, श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
9	अधीक्षक, दृष्टि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
10	अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर	द्वितीय श्रेणी	1
11	अधीक्षक, राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर	द्वितीय श्रेणी	1
12	अधीक्षक, मानसिक रुप से अविकसित बच्चों का गृह	द्वितीय श्रेणी	7
13	अधीक्षक, अस्थि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	2
14	संभागीय व्यवस्थापक	द्वितीय श्रेणी	6
15	व्याख्याता, दृष्टिबाधित	द्वितीय श्रेणी	22
16	व्याख्याता, श्रवणबाधित	द्वितीय श्रेणी	18
17	व्याख्याता, अस्थिबाधित	द्वितीय श्रेणी	8
18	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	10
19	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	427

पदोन्नति

वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं हुई है।

नवीन नियुक्ति

वर्ष के दौरान 20 नवीन नियुक्ति हुई है।

समयमान वेतनमान

वर्ष 2019–20 में तृतीय श्रेणी के 10 कर्मचारियों को एवं चतुर्थ श्रेणी के 04 कर्मचारी को समयमान वेतनमान प्रदान किया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति

वर्ष के दौरान 04 अनुकम्पा नियुक्ति हुई है।

विभागीय जांच

विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है –

संवर्ग	वर्ष 2019 प्रारम्भ में लंबित	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	31 दिसम्बर 2019 अंत तक लंबित प्रकरण
शासन स्तर				
प्रथम श्रेणी	6	0	3	3
द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–
संचालनालय श्रेणी				
प्रथम श्रेणी	–	–	–	–
द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–
तृतीय श्रेणी	2	–	2	–
चतुर्थ श्रेणी	1	–	–	1

न्यायालयीन प्रकरण

अप्रैल, 2019 तक की स्थिति में प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या
85	**21**	**106**

वादोत्तर की स्थिति

गत वर्ष के वादोत्तर हेतु प्रचलित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक प्रस्तुत किये गये वादोत्तर की संख्या	मार्च 2020 की स्थिति में शेष लंबित वादोत्तर की संख्या
13	**21**	**10**	**29**

निर्णय पालन की स्थिति

अप्रैल 2019 की स्थिति में पालन हेतु लंबित निर्णय की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक प्राप्त निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक पालन किये गये निर्णयों की संख्या	मार्च 2020 को पालन हेतु शेष निर्णयों की संख्या	निर्णय की संख्या जिनके विरूद्ध अपील/विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत/प्रस्तावित है।	अवमानना प्रकरणों की संख्या
6	**3**	**2**	**1**	**1**	**5**

पुरस्कार वर्ष 2019–20

1. 'वरिष्ठजनों को सुविधाजन सेवाएं प्रदाय करने हेतु सर्वोत्तम जिला पंचायत जिला पन्ना'

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठजनों को सुविधाजन सेवाएं हेतु वातावरण सृजित करने में किये गये उत्कृष्ठ कार्य का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2019–20 जिला पंचायत पन्ना, मध्यप्रदेश को प्रदान किया गया। उक्त पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में प्रदत्त किया गया। श्री कर्मवीर शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पन्ना द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया।

2. विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर प्रदेश को विभिन्न श्रेणी में प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये गये। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2019 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदत्त किया गया। प्रदेश को प्राप्त विभिन्न पुरस्कार निम्नानुसार है :–

1. सर्वश्रेष्ठ जिला – जिला उज्जैन
2. सर्वश्रेष्ठ संस्था – स्नेह नागदा उज्जैन
3. सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय– बडनगर, उज्जैन
4. व्यक्तिगत् श्रेणी (रक्त विकार)– श्री अरविन्द आमला बैतूल
5. सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टसमेन(तैराकी) – सत्येन्द्र सिंह ग्वालियर

3. इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को विभाग द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2019–20 अंतर्गत उक्त पुरस्कार स्व. श्री अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत उनकी पत्नि श्रीमती सायरा बानो को प्रदान किया गया। उक्त पुरस्कार अंतर्गत राशि रूपये 10 लाख एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

वर्ष 2019–20 में विभाग अंतर्गत आयोजित महत्वपूर्ण दिवस

1. 31 मई अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस

दिनांक 31.05.2019 को अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशाल मानव श्रृंखला एवं रैली का आयोजन भोपाल में किया जाकर तम्बाकू के दुष्परिणाम से आमजन को अवगत कराया गया।

क्र	वर्ष	सेमीनार/ संगोष्ठी		रैली/ प्रभात फेरी		नुक्कड नाटक		प्रदर्शनी		प्रतियोगिताएं		स्वास्थ्य शिविर		अन्य कार्यक्रम	
		कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्य क्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्य क्रम संख्या	सह–भागी संख्या
1	2018–19	150	3587	1131	130367	113	28011	161	15772	190	6434	58	4961	1199	18095
2	2019–20	148	30039	1001	107242	1289	25888	73	13996	98	6475	52	3646	69	17472

2. 2 से 8 अक्टूबर मद्य निषेध सप्ताह

दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2019 तक मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों यथा– नशामुक्ति जनजागरण रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नशामुक्ति परामर्श शिविर, मैराथन दौड, आदि कार्यक्रम अलग–अलग स्थानों पर आयोजित कराये गये।

क्र	वर्ष	सेमीनार/ संगोष्ठी		रैली/ प्रभात फेरी		नुक्कड नाटक		प्रदर्शनी		प्रतियोगिताएं		स्वास्थ्य शिविर		अन्य कार्यक्रम	
		कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्य क्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्य क्रम संख्या	सह–भागी संख्या
1	2018–19	211	28660	706	72931	232	23952	135	20377	158	9770	78	7210	72	31353
2	2019–20	265	58052	1646	99751	871	25917	132	36519	181	14774	75	4891	175	72564

3. 30 जनवरी मद्य निषेध संकल्प दिवस

महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि **30 जनवरी** के अवसर पर 'मद्य निषेध संकल्प दिवस' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेमीनार, वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद–विवाद, निबंध लेखन, पोस्ट प्रतियोगिताएं, नाटक, गीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएं आयोजित की जाकर मद्यपान तथा मादक पदार्थ के सेवन के रोकथाम एवं इनसे होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराया गया।

क्र	वर्ष	सेमीनार/ संगोष्ठी		रैली/ प्रभात फेरी		नुक्कड नाटक		प्रदर्शनी		प्रतियोगिताएं		स्वास्थ्य शिविर		अन्य कार्यक्रम	
		कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्य क्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्य क्रम संख्या	सह–भागी संख्या
1	2018–19	135	13762	459	87148	98	11238	75	10604	127	5273	49	2768	118	13999
2	2019–20	201	20100	2323	70132	124	7415	73	8765	130	5600	51	1777	128	10865

4. 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशानिवारण दिवस

26 जून 'अंतर्राष्ट्रीय नशानिवारण दिवस' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेमीनार, संगोष्ठी, रैली, प्रदर्शनी, वाद–विवाद, निबंध लेखन, पोस्ट प्रतियोगिताएं, नाटक, गीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाकर नशा से होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराया गया।

क्र	वर्ष	सेमीनार / संगोष्ठी		रैली / प्रभात फेरी		नुक्कड नाटक		प्रदर्शनी		प्रतियोगिताएं		स्वास्थ्य शिविर		अन्य कार्यक्रम	
		कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्य क्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्यक्रम संख्या	सह–भागी संख्या	कार्य क्रम संख्या	सह–भागी संख्या
1	2018–19	231	29636	465	93245	148	17000	83	17255	71	5945	44	3913	33	37254
2	2019–20	153	18403	421	85258	96	12361	89	14876	73	9209	49	4071	55	27969

5. 01 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

1 अक्टूबर 2019 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 10 वृद्धजनों को **'शतायु सम्मान'** से सम्मानित किया गया।

1 अक्टूबर 2019 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठजनों के लिए संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार व उनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 01.10.2019 को वरिष्ठजनों का वॉक व स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6. विश्व विकलांग दिवस

दिनांक 3 दिसम्बर 2019 को प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 3 दिसम्बर, 2019 को भोपाल में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया।

वर्ष 2019–20 में विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं

1. राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 देश में प्रभावशील है। प्रदेश में अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु **दिनांक 21.01.2020** को राज्य सलाहकार बोर्ड की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम/नियम के तहत विभागों को कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

2. राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 66 की उप धारा(2) एवं मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम (3) में निहित प्रावधान अनुसार 'राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति' की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी द्वितीय बैठक **दिनांक 19.07.2019** को श्री अपरूप दास, संचालक इंडियन कॉसिंल ऑफ मेडिकल रिसर्च जबलपुर की अध्यक्षता में संचालनालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण में आयोजित की गई।

3. महर्षि दधीचि पुरस्कार

राज्य में दिव्यांगजनों के कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/संस्थाओं को विभाग द्वारा महर्षि दधीचि पुरस्कार प्रदाय किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय 5 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 25 हजार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस अनुक्रम में उक्त हेतु गठित निर्णयक मण्डल के बैठक दिनांक 30.01.2020 को मंत्रालय में आयोजित की गई।

4. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर कार्यशाला सह–प्रशिक्षण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में मैदानी स्तर से अधिकारियों/अशासकीय संगठनों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन संभागीय आयुक्त के नेतृत्व विभिन्न तिथियों यथा दिनांक 29.01.2020 जबलपुर संभाग, 30.1.2020 रीवा एवं शहडोल संभाग, दिनांक 12.1.2020 ग्वालियर एवं चंबल संभाग, दिनांक 19.2.2020 सागर संभाग, दिनांक 26.2.2020 उज्जैन संभाग, दिनांक 4.2.2020 को इंदौर संभाग एवं दिनांक 13.3.2020 को भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के लिए आयोजित की गई है।

5. मध्यप्रदेश एवं राजस्थान का संयुक्त आयोजन : जेण्डर सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश में " पंचायत राज संस्थाओं हेतु जेण्डर संवेदी महिला सशक्तिरण प्रयास एवं उनका राज्य में प्रभाव" के संदर्भ में राज्य स्तरीय कार्यशाला दिनांक **16–17 जनवरी 2020** भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें विभाग की सचिव श्रीमती अलका श्रीवास्तव द्वारा भाग लिया गया।

6. डीडीआरसी के अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण

डीडीआरसी के कर्मचारियों को विभागीय योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में दिनांक 30.09.2019 को आयोजित किया गया।

7. नशामुक्ति जनजागृति अभियान कार्यक्रम

प्रदेश को नशामुक्त करने तथा विभागीय योजनाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक एवं गीतों द्वारा शासकीय कलापथक दलों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिसमें प्रदेश के 10 संभागों के लिये विभागीय कलाकारों के 6 सदस्यीय, कुल 20 (प्रत्येक संभाग के लिये दो दल) कलापथक दलों का गठन किया गया है। उक्त कलापथक दलों द्वारा नशामुक्ति योजना तथा अन्य विभागीय योजनाओं पर आधारित नुकक्ड़ नाटक एवं गीतों के माध्यम से **दिनांक 15 नवम्बर 2019 से 31 मार्च 2020** तक प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

8. दिव्यांगजनों हेतु एडिप योजनांतर्गत कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय

विभिन्न जिलों में दिव्यांगजनों हेतु भारत सरकार की एडिप योजनांतर्गत वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न तिथियों में हुआ, जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय किये गये।

9. वृद्धजन के सहायतार्थ मेगा शिविर का आयोजन

विभिन्न जिलों में दिव्यांग व वरिष्ठजनों के लिये मेगा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय किये गये।

10. पेंशन आपके द्वार

5 कि.मी. से भी अधिक दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान प्रतिमाह की 7 तारीख (यदि 7 तारीख का दिन अवकाश हो तो 6 तारीख) को निकटस्थ स्थान पर बैंक कारस्पोडेन्ट (बी.सी.) के माध्यम से प्राप्त हो इस हेतु प्रदेश में **'पेंशन आपके द्वार'** व्यवस्था प्रारंभ की गई है। व्यवस्था अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग वृद्ध, कल्याणी और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा के लिये दी जाने वाली पेंशन राशि को उनके गांव पर ही बैंक के माध्यम से वितरित की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों, कल्याणी और दिव्यांग पेंशन हितग्राहियों को घर बैठे पेंशन प्रदाय करना है।

11. दिव्यांग छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग

इंदौर जिले में दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु तीन कोचिंग संस्थानों का चयन किया गया जिसमें सक्षम आय.क्यू. को श्रवणबाधितों के लिए तथा कौटिल्य एकेडमी तथा चाणक्य इस्टीट्यूट को दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए अधिकृत किया गया। जिले में 80 दिव्यांग निःशुल्क कोचिंग का लाभ प्राप्त कर रहे है। जिसमें से 5 बालिकाओं का चयन रेल्वे एवं बैकिंग क्षेत्र में हुआ है। कुछ बच्चों के व्यापम, पीएससी, रेल्वे, बैक की परीक्षाएं दी है रिजल्ट आने का इंतजार है।

12. दिव्यांगजनों के लिए विशेष जनसुनवाई

जिला इंदौर में दिव्यांगजनों के लिए दिनांक 24 सितम्बर 2019 को कलेक्टर के उपस्थित एवं मार्गदर्शन में विशेष जनसुनवाई की गई। दिव्यांगजनों को निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो इस हेतु मेडिकल बोर्ड लगाया गया। एडिप योजना में जिन दिव्यांगों को मोट्रेड ट्रायसाईकल प्राप्त हुई थी, उनकी गाडी की सर्विसिंग हेतु एलिम्को के इंजीनियर को बुलवाया जाकर सर्विसिंग भी करवाई गई। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण किया गया। लगभग 282 दिव्यांगजनों का पंजीयन करवाया गया।

13. दिव्यांगताओं के लिए मेडिकल बोर्ड

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का समावेश किया गया। इंदौर जिले में 21 दिव्यांगताओं हेतु पृथक–पृथक तीन मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।

14. दीपोत्सव

दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को एक प्लेटफार्म देने के लिए दीपोत्सव का आयोजन **जिला इंदौर, उज्जैन** में किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित दीप, सजावटी सामग्री इत्यादि के स्टॉल दिव्यांग बच्चों द्वारा लगाये गये। यह एक अच्छा प्रयास विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए किया गया।

15. वरिष्ठजनों के लिए विशेष जनसुनवाई

जिला इंदौर में वरिष्ठजनों के लिए दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को कलेक्टर के मार्गदर्शन में विशेष जनसुनवाई की गई। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण अधिनियम अंतर्गत सभी क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जनसुनवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ चेकअप कैम्प आयोजित किया गया। वरिष्ठजनों को वाकर, व्हीलचेयर, बैशाखी का वितरण किया गया। साथ ही 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होने के फलस्वरुप शतायु सम्मान समारोह का आयोजन किया जाकर वरिष्ठजनों को सम्मानित भी किया गया।

16. ई–लाईब्रेरी का शुभारंभ

जिला टीकमगढ़ में दिव्यांगजनों की पढने की चाह को पूरा करने हेतु ई–लाईब्रेरी का शुभारंभ किया गया। सुगम्य पुस्तकालय के सहयोग से ई–लाईब्रेरी शुरू होने से पुस्तकालय में ऑडियों फॉर्मेट में ढाई लाख पुस्तकें उपलब्ध होगी, विशेषकर दृष्टिबाधित दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा।

17. मोटराईज्ड ट्राई साईकिल वितरण

जिला टीकमगढ़ में कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उपस्थिति में एडिप योजनांतर्गत मोटराईज्ड ट्राई साईकिल का वितरण किया गया । इस अवसर पर समाज सेवियों द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क कम्बल का वितरण भी किया गया।

18. दिव्यांग पार्क का निर्माण

जिला टीकमगढ़ में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र परिसर में नगर पालिका टीकमगढ द्वारा जनभागीदारी मद अंतर्गत राशि रूपये 93.00 लाख से दिव्यांगजनों के लिये पार्क का निर्माण किया गया, जिसे संवेदना पार्क नाम दिया गया है।

19. डे–केयर सेंटर

जिला टीकमगढ़ में राजमहल परिसर में वरिष्ठजनों के लिये डे–केयर सेंटर संचालित है, जिसमें वरिष्ठजनों के लिये खेलकूद, पुस्तकें के साथ–साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

20. श्रवण एवं दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों हेतु संभाग स्तरीय क्रिकेट मैच

जिला रीवा में श्रवण एवं दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों का संभाग स्तरीय क्रिकेट मैच एवं जिला स्तरीय सामर्थ्य खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाकर विजेता एवं उप विजेता टीम को पुरस्कार वितरण किया गया।

21. दिव्यांजनों को स्व–रोजगार शिविरों का आयोजन

जिला छतरपुर में दिव्यांगजनों को सार्थक एजुकेशन ट्रेस्ट नई दिल्ली के माध्यम से रोजगार के अवसर के संबंध में मोविलाईजनशन केम्प का आयोजन दिनांक 16.1.2020 को किया गया।

22. दिव्यांग युवक–युवती परिचय सम्मेलन

जिला उज्जैन में दिव्यांगजनों हेतु जिला स्तरीय दिव्यांग युवक–युवती परिचय सम्मेलन का आयोजना 12 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया। जिसमें प्रदेश के 116 दिव्यांगजनों के भाग लिया।

23. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण

मता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलें के दो अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का प्रशिक्षण तीन चरणों में क्रमशः दिनां 19–20 फरवरी 2020, 24–25 फरवरी 2020 एवं 27–28 फरवरी 2020 को प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित की गई।

सारांश

1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को राज्य शासन द्वारा जो दायित्व सौंपे है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम एवं प्रदेश के सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से **46.86 लाख** से अधिक पेंशन हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से मार्च 2020 तक **5.23 लाख** कन्याएं लाभांवित हो चुकी हैं।
4. इस तरह समाज के कमजोर वर्ग, निराश्रित, दिव्यांगजन, वरिष्ठजन, कल्याणी, अविवाहिता और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत् शासकीय संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम
1	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर
2	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीवा
3	शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर
4	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ (बालिका) उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन
5	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल
6	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन
7	शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
8	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर
9	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर
10	अधीक्षक शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर
11	शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतूल
12	शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर
13	अधीक्षक शासकीय राजकीय प्रौढ़ बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
14	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, इंदौर(बालक/बालिका)
15	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, जबलपुर (बालक/बालिका)
16	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, सागर (बालक/बालिका)
17	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, ग्वालियर (बालक/बालिका)
18	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, रीवा (बालक/बालिका)
19	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, उज्जैन (बालक/बालिका)
20	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, भोपाल (बालक/बालिका)

दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क.	जिले का नाम	कुल संस्था	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता
1	2	3	4
1	ग्वालियर	1	1. मांधव अंधाश्रम, ग्वालियर,
		2	2. म0प्र0 मूक बधिर कल्याण संस्था ग्वालियर.
2	शिवुपरी	3	1.मंगलम शिवपुरी
3	देवास	4	1. म0प्र0 दृष्टिहीन कल्याण संघ शाखा देवास
4	रतलाम	5	1.जनचेतना परिषद मंद एवं मूक बधिर विद्यालय जिला रतलाम
5	उज्जैन	6	1.उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा संचालित सेवांजलि विद्यालय
		7	2.अपंग सेवा आश्रम उज्जैन
6	इंदौर	8	1.मूक बधिर संगठन स्कीम नं. 71 रंजीत हनुमान के पीछे इंदौर
		9	2. गूंगे बहरो का निःशुल्क स्कूल एम0ओ0जी0 लाईन इंदौर
		10	3. अंध मूक बधिर विद्यालय जीवन दीप कांलोनी इंदौर
		11	4. म0प्र0 दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर किला मैदान
		12	5. महेश दृष्टीहीन कल्याण संघ इंदौर बाम्बे अस्पताल के पास इंदौर
		13	6. राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ बाम्बे अस्पताल के पास इंदौर
		14	7. रोटरी पांल हैरिस स्कूल बाम्बे अस्पताल के पास स्किम नं. 54 इंदौर
		15	8. विकलांग कल्याण संघ इंदौर सुखलिया चन्द्रगुप्त चौराहा इंदौर
		16	9. महात्मा गांधी संस्थान नवलखा बंगाली क्लब के पास इंदौर
		17	10. कुष्ठ सेवा संस्थान इंदौर
7	झाबुआ	18	1.करूणा सदन कुष्ठ निवारण संस्था राणापुर
8	अलीराजपुर	19	1.चन्द्रशेखर आजाद आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वास केन्द्र जिला अलीराजपुर
9	बडवानी	20	1. श्री कांता विकलांग टस्ट झांकर निवाली जिला बडवानी
		21	2. आशाग्राम ट्रस्ट जिला बडवानी
10	खण्डवा	22	1. श्रीमती सावित्री बाई झंवर सेवा न्यास जिला खण्डवा
11	भोपाल	23	1. दृष्टिहीन कल्याण संघ शिवाजीनगर भोपाल
		24	2. नेशनल एसोसियेशन फॉर द ब्लाइंड सांकेत नगर भोपाल
		25	3.मेरियन सोसायटी आशा निकेतन बधिर उ0मा0वि0 अरेरा कांलोनी भोपाल
		26	4.मिरियम स्कूल फॉर द मेंटली हेण्डीकेप्ड अरेरा कांलोनी भोपाल
		27	6.शुभम विकलांग एवं समाज सेवा समिति कोहेफिजा भोपाल
		28	7.दिग्दिर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल
		29	8.महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम भोपाल
12	विदिशा	30	1.सूरज निकेतन विशेष स्कूल, शिवकल्याण एवं शिक्षण समिति विदिशा
13	बैतुल	31	1.दृष्टिहीनो की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र पाढर जिला बैतूल
14	छतरपुर	32	1.प्रगतिशील विकलांग संसार चौबे नर्सिग हास्पिटल के पास छतरपुर
15	दमोह	33	1.अनंत मूक बधिर विद्यालय दमोह
16	जबलपुर	34	1. चेतना विकलांग सेवा भारती शासकीय प्राथमिक शाला परिसर जबलपुर
		35	2. स्नेह निकेतन थाना गौरखपुर के पासं जबलपुर
17	रीवा	36	1.अशासकीय नेत्रहीन एवं विकलांग उ0मा0विद्यालय तोपखाना रीवा
18	सीधी	37	1. गुरूकूल संस्कृति शिक्षा समिति विवेकानंद विकलांग आश्रम सीधी द्वारा संचालित विवेकानंद विकलांग आवसीय विद्यालय सीधी
19	सतना	38	तुलसी प्रज्ञा चक्षु दृष्टि श्रवण बाधित

दिव्यांगता के क्षेत्र में जिला निराश्रित निधि से अनुदान/सहायता प्राप्त संचालित संस्थाओं की जानकारी

जिला	क्र.	संस्था का नाम
इंदौर	1	संस्था संवेदना बौद्धिक विकास केन्द्र महू इंदौर
	2	ज्योतिर्मय सेवा समिति बडवाह, खरगोन
	3	मॉ ऊँ. नर्मदा सेवा समिति बडवाह, जिला खरगोन
	4	निमाड अंचल नेत्रहीन संघ खण्डवा
	5	स्वयं सिद्धा शिक्षण समिति खण्डवा
भोपाल	6	उमंग गोरव दीप वेलफेयर सोसायटी 111, अराधना नगर कोटरा भोपाल
	7	उम्मीद शिक्षण समिति विशेष स्कूल, जिला विदिशा
	8	अर्पण बहुउद्वेश्यीय शिक्षण समिति जिला बैतूल
	9	डॉ. एनीबिसेन्ट मानसिक नि:शक्त स्कूल/ छात्रावास होशंगाबाद
	10	संज्ञा शिक्षा समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित (दृष्टिबाधित) विद्यालय होशंगाबाद
	11	भविष्य मानसिक नि:शक्त विशेष विद्यालय जिला होशंगाबाद
उज्जैन	12	अपंग सेवा आश्रम जिला उज्जैन
	13	रेडक्रास मूक बधिर विद्यालय एवं आवासीय छात्रावास जिला नीमच
	14	मालवा कौंसिल फार सोशल वर्क देवास
जबलपुर	15	शुभम नि:शक्त तकनीकी विद्यालय, छिंदवाडा
	16	महर्षि वशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जिला नरसिंहपुर
	17	स्वावलंबन विकलांग पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान कटनी
	18	राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान झिंझरी कटनी
	19	भारतीय रेडक्रास सोसायटी श्रवण बाधितार्थ विद्यालय कटनी
ग्वालियर	20	आत्म ज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय जिला ग्वालियर
	21	अजय मेमोरियल चेरिटबल ट्रस्ट अनामय आश्रम दतिया
	22	मानव जन कल्याण संस्था शिवपुरी शाखा झांसी रोड दतिया
	23	गौरीशंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति, जिला श्योपुर
	24	बजरंग शिवम शिक्षा प्रसार समिति मेहगांव, जिला भिण्ड
रीवा	25	स्नेह सदन वेल्फेयर सोसायटी पतेरी सतना
	26	जय मॉ कालिका विकलांग विशेष आवासीय विद्यालय सिंगरौली

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम

क्रमांक	जिले का नाम	सरल क्र.	वृद्धाश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	1	''आसरा''वृद्धजन सेवा केन्द्र'' गांधी भवन न्यास द्वारा संचालित वृद्धाश्रम शाहजहांनाबाद, गोलघर के पास, भोपाल
		2	''आनंदधाम वृद्धाश्रम'' सेवा भारती (मातृछाया) भोपाल
		3	ऑर्च डायोसिस आफ भोपाल आर्च विशप्स हाउस, 33 अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल
		4	''अपना घर वृद्धश्रम'' IIT कालेज के पीछे कोलार रोड, भोपाल
2	होशंगाबाद	5	''वृद्धाश्रम पिपरिया'' मुख्य नगर पालिका पिपरिया द्वारा संचालित बस स्टेण्ड, पिपरिया जिला होशंगाबाद
		6	''आसरा वृद्धाश्रम''वान्या ढावा बुधनी रोड, जिला होशंगाबाद
		7	''वृद्धाश्रम इटारसी'' रामवृद्ध जन कल्याण समिति जिला होशंगाबाद
3	रायसेन	8	''महात्मा गांधी वृद्धाश्रम'' अशा.संस्था आर.डी.एस.एस.,सिलवानी द्वारा संचालित जिला रायसेन
4	बैतूल	9	''मातोश्री शिशु–वृद्धजन सेवाधाम'' अशा.संस्था विशाल सतपुडा उत्थान समिति ग्राम उडदन, जिला– बैतूल
5	विदिशा	10	''वृद्धाश्रम गंजबासौदा'' फोरम फार इन्वायरमेंट एण्ड इकोनामिक फीड गंजबासौदा
6	हरदा	11	''वृद्धाश्रम हरदा'' जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित जिला हरदा
7	ग्वालियर	12	अशा. संस्था नारायण दास अग्रवाल परमार्थ सेवा ट्रस्ट, जागृति नगर, लक्ष्मीगंज ग्वालियर
		13	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, के–48, गांधी नगर, ग्वालियर जिला ग्वालियर
8	श्योपुर	14	''गणराज वृद्धाश्रम'' अशा.संस्था श्री गणराज सेवा समिति, पाली रोड, श्योपुर
		15	''वृद्धाश्रम कराहल''गौरी शंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति श्योपुर
9	गुना	16	''अपना घर वृद्धाश्रम'' अशा.संस्था श्री साईनाथ सेवा सदन समिति, नानाखेडी, जिला– गुना
10	भिण्ड	17	''वृद्धाश्रम भिण्ड'' अशा. संस्था–मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, गली नं0 2 जमना रोड, जिला भिण्ड
		18	''वृद्धाश्रम'' श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट तह. लहार, जिला भिण्ड
		19	''बॉके बिहारी वृद्धाश्रम'' श्री मूलचन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम दबोह, जिला भिण्ड
		20	''मॉ गजानन वृद्धाश्रम'' मॉ गजानन शिक्षा समिति मौ जिला भिण्ड
11	मुरैना	21	''शासकीय वृद्धाश्रम'' कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, माधोपुरा की पुलिया के पास मुरैना
12	अशोकनगर	22	वृद्धाश्रम अशोक नगर'' अशा. संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) शंकरपुर,मगरदा चौराहा, जिला अशोकनगर
13	इन्दौर	23	''आस्था वृद्धाश्रम'' अशा0संस्था कल्याण मित्र समिति समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, जिलीा इन्दौर
		24	अमरलाल सेवा चेरेटेबिल ट्रस्ट द्वारकापुरी, जिला इंदौर
		25	श्री भोलाराम भक्त हनुमान मंदिर परमार्थिक ट्रस्ट, 1/1 छोटी भमोरी अनूप टाकीज चौराहा, इंदौर

क्रमांक	जिले का नाम	सरल क्र.	वृद्धाश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम
14	धार	26	''वृद्धाश्रम, धार'' भारतीय रेडक्रास सोसायटी–धार द्वारा संचालित इंदौर नाका, जिला धार
15	बुरहानपुर	27	''वृद्धाश्रम, बुरहानपुर'' अशा.संस्था हरखराज विजयराज लोढ़ा द्वारा संचालित जिला बुरहानपुर
16	खरगौन	28	''आनंद बसेरा वृद्धाश्रम'' नगर पालिका महेश्वर द्वारा संचालित, महेश्वर, जिला खरगौन
		29	''आशा निकेतन वृद्धाश्रम'' खलबुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खरगौन, म0प्र0
17	बडवानी	30	''वृद्धाश्रम बडवानी'' आशाग्राम ट्रस्ट बडवानी
18	खण्डवा	31	''वृद्धाश्रम'' अशा.संस्था श्री वैष्णव वृद्धाश्रम आश्रम शांति निकेतन ओंकारेश्वर में संचालित जिला– खण्डवा,
19	उज्जैन	32	''सेवाधाम वृद्धाश्रम'' अशा.संस्था उज्जैयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन, ग्राम अम्बोदिया तह0 घटिया, जिला– उज्जैन
20	मंदसौर	33	''वृद्धाश्रम'' भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा मंदसौर द्वारा संचालित रेवास देवडा रोड, जिला मंदसौर
21	देवास	34	''बसेरा वृद्धाश्रम'' जिला विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, जिला देवास द्वारा संचालित राजोदा रोड, जिला देवास
22	रतलाम	35	''वृद्धाश्रम' बिरयाखेडी '' भारतीय रेडकास सोसायटी, बिरयाखेडी जिला रतलाम
23	नीमच	36	''वृद्धाश्रम नीमच'' भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नीमच
24	सागर	37	''आनंद वृद्धाश्रम'' भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा सागर द्वारा संचालित खुरई जिला सागर,
		38	गोपाल सेवा वृद्धाश्रम, गढ़ाकोटा, देव सर्वोदय समिति, वल्लभ नगर वार्ड, जिला सागर द्वारा संचालित ज. पं. रहली जिला सागर
25	दमोह	39	''वृद्धाश्रम दमोह'' भारतीय रेडक्रास सोसायटी, दमोह
26	छतरपुर	40	''दर्शना वृद्धाश्रम'' अशा. संस्था दर्शना महिला कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, छतरपुर
		41	''माँ भ्मावती वृद्धाश्रम'' अशा.संस्था–मां भगवती महिला मंडल,घुवारा, तहसील बडामलहरा,जिला छतरपुर
27	नीवाडी	42	''रामराजा वृद्धाश्रम'' अशा0 संस्था– आर0एस0 शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आरेछा में संचालित ''श्री लुकमान चौराहा, मोटे का मोहल्ला, आरेछा, जिला टिकमगढ
28	पन्ना	43	''ऑचल वृद्धजन सेवा सदन'' अशा. संस्था श्रीराम असाहजन चैरीटेबल सोसायटी अजयगढ़ जिला पन्ना
29	जबलपुर	44	''आश्रम आनन्द भवन'' मिशनरीश ऑफ चारिटी मदर टेरेसास आश्रम आनन्द भवन पूर्वी घमापुर, कॉचघर, जबलपुर 482001
30	छिन्दवाडा	45	''गोधुली वृद्धाश्रम'' नगरपालिका परिषद द्वारा संचालित लोनियाकरबल, जिला छिन्दवाडा
31	नरसिंहपुर	46	''जगतगुरू शंकराचार्य वृद्धाश्रम'' आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति, झोतेश्वर, गोटेगाव, जिला–नरसिंहपुर
32	कटनी	47	''बच्चन नायक वृद्धाश्रम'' अशा.संस्था कर्मयोग समिति, 10 सावरकर वार्ड, नई बस्ती जिला कटनी, ग्राम कछगंवा, जिला कटनी
33	बालाघाट	48	''सहारा वृद्धाश्रम'', जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं0 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट
34	सिवनी	49	''वृद्धाश्रम सिवनी'' वृद्धाश्रम विकास समिति सिवनी जिला सिवनी
35	रीवा	50	''वृद्धाश्रम'' भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा रीवा रीवा

क्रमांक	जिले का नाम	सरल क्र.	वृद्धाश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम
36	सीधी	51	''गोपालदास आश्रम'' गोपालदास सार्वजनिक कल्याण समिति, सीधी
37	सतना	52	वृद्धाश्रम प्रमोदवन आनंदधाम, कांच मंदिर के आगे, चित्रकूट, सतना
		53	वृद्धाश्रम, मां शारदा देवी प्रबंध कमेटी (ट्रस्ट) समिति, ,मैहर, जिला–सतना
		54	''चन्द्राश्रय वृद्धाश्रम'' डॉ. लालता प्रसाद खरे पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, सतना, नीमी रोड, सकरिया, जिला सतना
		55	''वृद्धाश्रम'' मॉडल शिक्षा समिति, वीरसिंहपुर, सतना
		56	''वृद्धाश्रम उचेहरा'' श्री प्रभाजन कल्याण समिति सतना
		57	''वृद्धाश्रम अमिरिती'' दुर्गा वृद्ध सेवा समिति, ग्राम पंचायत अमिरिती पोस्ट देवरा, ज.प. मझगंवा, सतना
38	शहडोल	58	''वृद्धाश्रम'' अशा.सस्था–भारत विकास परिषद, कल्याणपुर शहडोल
39	सिंगरौली	59	''वृद्धाश्रम'' जय मां कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई, वि0खंड0 देवसर, जिला सिंगरौली
40	अनुपपूर	60	''कल्याण वृद्धाश्रम'' ग्राम सीतापुर ग्राम पंचायत बरबसपुर, अनुपपुर
41	आगर मालवा	61	''अपना घर वृद्धाश्रम'' तथागत समाज कल्याण समिति न्यू विवेक नगर थाटीपुर ग्वालियर
42	अलीराजपुर	62	''वृद्धाश्रम'' जिला प्रशासन सामाजिक न्याय विभाग
43	मण्डला	63	''वृद्धाश्रम'' भारतीय रेडक्रास सोसायटी मण्डला

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम (केन्द्रीय अनुदान)

क्रमांक	जिले का नाम	संचालित वृद्धाश्रमों की संख्या	वृद्धाश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इन्दौर	1	''श्री गणेश बुजुर्ग आश्रम'' अशा.संस्था महिला उत्कर्ष संस्थान 3/4 वृदावन कालोनी इन्दौर जिला इंदौर (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
2	विदिशा	2	''श्री हरि वृद्धाश्रम'' अशा. संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित स्वर्णकार कालोनी, यामहा शो–रूम के पास, जिला विदिशा
3	रीवा	3	''निवेदिता वृद्धाश्रम''' अशा.संस्था निवेदिता कल्याण समिति, जय भारत नगर, लालगांव रीवा (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
4	खण्डवा	4	''दादा जी वृद्धाश्रम'' सोसायटी फार मेक्सीमाइजिंग एग्रीकल्वर एण्ड रूरल टेक्नोलाजी खण्डवा
5	सीहोर	5	''संकल्प वृद्धाश्रम'' अशा. संस्था न्यू प्रताप शिक्षा समिति, जिला सीहोर द्वारा संचालित जिला सीहोर
6	राजगढ	6	''आशाधाम वृद्धाश्रम'' अशासकीय संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र जिला राजगढ
7	भिण्ड	7	''बालाजी वृद्धाश्रम'' गहोई शिक्षा प्रसार समिति, मिहोना, जिला भिण्ड
8	बालाघाट	8	''सहारा वृद्धाश्रम'' पीपरटोला (विरसा) जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं0 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट
9	जबलपुर	9	''वृद्धाश्रम बाजनामठ'' ,भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बाजनामठ, तिलवाराघाट रोड, जबलपुर
10	भोपाल	10	''यशोदा वृद्धाश्रम'' अशासकीय संस्था नैलौर शिक्षा समिति भोपाल
11	शिवपुरी	11	''वृद्धाश्रम शिवपुरी'' अशा.संस्था मंगलम–शिवपुरी वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित डे–केयर सेंटर

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
1	भोपाल	1	वरिष्ठ नागरिक मण्डल, ई–4/10, अरेरा कालोनी, भोपाल
		2	चित्रांश ह्युमन एण्ड वेलफेयर सोसायटी मकान नं0 16, श्री नगर कालोनी, बैरसिया रोड, भोपाल
2	सीहोर	3	नगर पालिका परिषद, सीहोर
3	राजगढ	4	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट जिला राजगढ
4	रायसेन	5	सियावास स्वावलंबी समाज सेवी संस्था, बेगमगंज, जिला रायसेन
		6	आर.डी.एस.एस., सिलवानी
		7	जय गुरुदेव धर्म प्रचारक समिति,वार्ड क्र0 11 म.नं. 34,कन्या शाला के पीछे, पटेल नगर जिला रायसेन
5	हरदा	8	पहल सामाजिक संस्था, टिमरनी, जिला हरदा द्वारा नगरीय निकाय हरदा एवं टिमरनी में संचालन
6	होशंगाबाद	9	श्री मैकलसुता शिक्षा समिति द्वारा संचालित "वृद्धजन डे केयर सेंटर" संजय नगर ग्वालटोली, जिला होशंगाबाद
		10	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सांगाखेडाकलां जनपद पंचायत बाबई
		11	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सुआखेडी जनपद पंचायत बाबई
		12	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत शुक्करवाडा फार्म जनपद पंचायत बाबई
		13	महोदव सुन्दरम, न्यास कालोनी, इटारसी, द्वारा संचालित वृद्धजन ग्राम पंचायत मेहरागांव तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद
		14	सरपंच ग्राम पंचायत सिंगानामा,द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सिंगानामा जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद
		15	सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत नांदिया जनपद पंचायत पिपरिया, जिला होशंगाबाद
		16	सरपंच ग्राम पंचायत छीतापुरा, जनपद पंचायत केसला द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
		17	सरपंच ग्राम पंचायत चौकीपुरा (सुखतवा) जनपद पंचायत केसला द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
		18	स्व0 नर्मदाप्रसाद दुबे नशामुक्ति केन्द्र द्वारा संचालित ग्राम पंचा. पवारखेडा जन0पंचा0 होशंगाबाद
		19	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पिपरिया, होशंगाबाद
		20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र सिवनी मालवा द्वारा संचालित वृद्धजन डे–केयर सेंटर
		21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र बानापुरा (सिवनी मालवा) द्वारा संचालित वृद्धजन डे–केयर सेंटर
		22	सरपंच ग्राम पंचायत शिवपुर, जनपद पंचायत सिवनी मालवा
7	विदिशा	23	ज्ञान सरोवर शिक्षा समिति, शेरपुरा जिला विदिशा
8	ग्वालियर	24	वरिष्ठ नागरिक संस्थान ग्वालियर द्वारा संचालित "कस्तूरबा गॉधी

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
			विश्रांति भवन न्यास, ग्वालियर
9	गुना	25	श्री साईनाथ सेवा सदन समिति नानाखेडी गुना
10	अशोकनगर	26	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट फीड शाखा अशोकनगर
11	शिवपुरी	27	अशा.संस्था मंगलम–शिवपुरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी
		28	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद जिला शिवपुरी
		29	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट ''फीड'' गांधी कालोनी, म0नं0 99, शिवपुरी
12	दतिया	30	बाल प्रगति शिक्षण संस्थान दतिया द्वारा दतिया में संचालित
13	भिण्ड	31	निराश्रित निधि से संचालित
14	मुरैना	32	वरिष्ठ नागरिक सह पेंशन संघ, मुरैना
		33	ईश्वर सिंह शिक्षा प्रसार समिति, किशोरगढ़, जिला मुरैना
15	श्योपुर	34	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, श्योपुर
16	इंदौर	35	नगर निगम, इंदौर
		36	ग्रामीण उद्यमिता एवं जनकल्याण समिति, विसनावत, इंदौर
		37	सनातन चेरेटेबिल टस्ट इंदौर
		38	''अमराई'' वरिष्ठ नागरिक परामर्श एवं कल्याण संघ, ई, एफ–2, स्कीम नं0 54, पॉवर हाऊस के सामने, जिला इंदौर
17	खरगौन	39	नगर पालिका खरगोन
		40	नगर पालिका सनावद
		41	नगर पालिका बड़वाह
18	खंडवा	42	आस्था वेलफेयर सोसायटी, स्टेशन रोड, खंडवा (ज.प.)
		43	सोसायटी फार मेक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चर एवं रूरल टेक्नालाजी, खंडवा (शहरी क्षेत्र में)
		44	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर बलडी (किल्लौद))
		45	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर हरसूद)
		46	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खालवा)
		47	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर पुनासा)
		48	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर छैगांवमाखन)
		49	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर पंधाना)
		50	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खण्डवा)
19	झाबुआ	51	नगर पालिका–झाबुआ वृद्धाश्रम मंगल भवन, जिला झाबुआ

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
20	उज्जैन	52	अपंग सेवाश्रम महाकाल घाटी उज्जैन
		53	सहस्त्र औदिच्य समाज वरिष्ठजन समिति, के–7, एम0आई0जी0 ऋषिनगर, उज्जैन
21	रतलाम	54	नगर पालिका परिषद् जावरा जिला रतलाम वार्ड नं.14 सा. भवन
22	देवास	55	वरिष्ठ नागरिक संस्था, देवास
23	मंदसौर	56	सेवा निवृत्त एवं पेंशनर महासंघ, जिला मंदसौर
		57	ग्राम बालागुडा, जनपद पंचायत मल्हारगढ
24	जबलपुर	58	वरिष्ठ सेवा केन्द्र डे केयर सेंटर छावनी मंडल केंट द्वारा संचालित ''छावनी परिषद् जिला जबलपुर''
		59	पंजाबी हिन्दू एसोसियेशन नेपियर टाउन जबलपुर
25	सिवनी	60	नगर पालिका परिषद जिला सिवनी
26	छिंदवाडा	61	नगर पालिका परिषद, छिंदवाडा
27	नरसिंहपुर	62	नगर पालिका परिषद, नरसिंहपुर
28	डिण्डोरी	63	मु.न.पा.अधिकारी नगर परिषद डिण्डौरी ''ज्ञानोदय वाचनालय भवन'
29	सागर	64	आनंद आश्रम सागर
		65	रंगखोज परिषद सागर, प्रथम तल, साहू बिल्डिंग, सागर
30	छतरपुर	66	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका छतरपुर
		67	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् खजुराहो
31	टीकमगढ	68	भारतीय रेडक्रास सोसॉयटी, टीकमगढ द्वारा संचालित
32	रीवा	69	भारतीय रेडक्रास सोसॉयटी, रीवा
		70	निवेदिता कल्याण समिति, रीवा
33	सिंगरौली	71	जय मॉ कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई विकास खंड देवसर जिला सिंगरौली
34	उमरिया	72	नगर पंचायत–चांदिया
		73	नगर पालिका पाली
		74	नगर पालिका उमरिया
35	सीधी	75	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र0 02 सीधी के बगल में
36	पन्ना	76	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, पन्ना
37	आगर	77	मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसियेशन जिला आगर (मालवा)
38	बुरहानपुर	78	नगर पालिका निगम बुरहानपुर
39	मंडला	79	नगर पालिका परिषद् मंडला
40	दमोह	80	अशा. संस्था– वीणा शिक्षण समित दमोह
		81	अशा. संस्था– निर्मल सोशल एजूकेशनल हेल्थ एवं इको फ्रेण्डली सोसायटी सागर
41	बालाघाट	82	नगर पालिका बालाघाट द्वारा संचालित
42	बैतूल	83	आर्यपुरा टिकारी वरिष्ठ नागरिक संगठन जिला बैतूल

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान प्राप्त संचालित संस्थाएँ नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों (IRCA) की सूची

क्रमांक	जिला	स्वैच्छिक संस्था व संचालित केन्द्र का नाम
1	इंदौर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी इंदौर "आर्शीवाद नशामुक्ति" केन्द्र मेंटल हास्पिटल के पास बाणगंगा मेनरोड इंदौर
2	उज्जैन	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ,उज्जैन "जागृति नशामुक्ति केन्द्र" नगर निगम उप कार्यालय परिसर, मक्सी रोड फ्रीगंज, उज्जैन
3	नीमच	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा नीमच नशामुक्ति केन्द्र ओ.पी.एम.एण्ड अल्कोलाइड फैक्ट्री केम्पस नीमच
4	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति भोपाल "नव ज्योति नशामूक्ति सह पुर्नवास केन्द्र" अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट जबलपुर जिला जबलपुर
5	बालाघाट	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट युग शक्ति भवन बार्ड नं. 1 भटेरा चौकी बालाघाट (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
6	पन्ना	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद् होमगार्ड आफिस के पास पन्ना
7	सिवनी	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट शाखा जयरथ नाका ईश्वर नगर सिवनी (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
8	विदिशा	अजन्ता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति 53 सॉची मार्ग देवी का वाग के सामने विदिशा
9	भिण्ड	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति मालनपुर तह. गोहद जिला भिण्ड
10	खण्डवा	सोसायटी फार मेग्जीमाइजिंग एग्रीकल्चर एण्ड रूरल टेक्नोलाजी खण्डवा (10 धनवंतरी नगर केसर होटल के सामने जसवाडी रोड खण्डवा)
11	इन्दौर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र संस्कृति रायल पार्क कनुप्रिया नगर राउ इन्दौर)
12	बडवानी	आशा ग्राम ट्रस्ट बडवानी (नशामुक्ति केन्द्र आशा ग्राम ट्रस्ट बडवानी)
13	इन्दौर	सदभाव मिशन समिति शाखा इन्दौर, (नशामुक्ति केन्द्र) म.नं. 647 ए, महालक्ष्मी नगर मेनरोड नियर बाम्बे हास्पिटल इन्दौर 452010
14	सीहोर	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, संकल्प नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र "यशोदा कुंज" कस्बा सीहोर
15	रीवा	निवेदिता कल्याण समिति रीवा, नशामुक्ति केन्द्र, सरस्वती स्कूल के पास निराला नगर रीवा
16	दमोह	स्वामी विवेकानन्द सामाजिक उत्थान शिक्षा निकेतन तह. पथरिया जिला दमोह (नशामुक्ति केन्द्र)
17	हरदा	पहल सामाजिक विकास संस्था वार्ड नं. 20 अवस्थी कम्पाउण्ड हरदा जिला हरदा (नशामुक्ति केन्द्र)
18	टीकमगढ	आर.एस.शिक्षा समाज कल्याण समिति मंडलेश्वर कालोनी गली नं. 4 बाओ गोल क्वार्टर टीकमगढ जिला टीकमगढ (नशामुक्ति केन्द्र)
19	छिन्दवाडा	मातृ सेवा संघ छिन्दवाडा (नशामुक्ति केन्द्र तत्याटोपे वार्ड नं. 40 सोनी मोहल्ला लोनिया करबल छिन्दवाडा)
20	भोपाल	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, (नशामुक्ति केन्द्र एम. जी.एम. स्कूल के पास अवधपुरी भोपाल)

जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर

क्र.	जिला	अधिकारी का नाम	कोड	दूरभाष	मोबाईल	ईमेल	समग्र संयोजक/ कर्मचारी	मोबाईल
1.	भोपाल	श्री आर.के. सिंह	0755	2540865	9425459152	pswbho@mp.nic.in,	श्री पंकज विश्वकर्मा	8319154538
2.	सीहोर	श्रीमती रचना बुधोलिया प्रभारी	07562	227039	8878811711	pswseh@mp.nic.in,	श्री कृपाल सिंह	9752247412
3.	रायसेन	श्री पंकज जैन प्रभारी	07482	222052	7987351217	pswrai@mp.nic.in,	श्री नजीम अली	9302807241
4.	राजगढ़	श्री रामाधार सिंह, प्रभारी	07372	255259	9425444002	pswraj@mp.nic.in,	श्री बालचन्द्र राठौर	9617647552
5.	विदिशा	डॉ. पी.के. मिश्रा प्रभारी	07592	234272	9407256836	ddsjvid@mp.gov.in,	श्री संजय कुमार	9993966443
6.	होशंगाबाद	श्रीमती प्रमिला वाईकर	07574	252283	9425688379	pswhos@mp.nic.in,	श्री अमित चौरे	8319961743
7.	बैतूल	श्री संजय श्रीवास्तव प्रभारी	07141	234368	9425873988	ddsjbtl@gmail.com,	श्री दीपक	9826896462
8.	हरदा	श्री कमलेश सिंह प्रभारी	07577	225193	9424429944	pswhar@mp.nic.in,	श्री अभिषेक साहू	9039816868
9.	इन्दौर	श्रीमती सुचिता तिर्की बेक	0731	2367214	9893860721	pswind@mp.nic.in,	श्री गिरधारीलाल	9977271522
10.	धार	श्री विजय राय प्रभारी	07292	235810	9131229336	ddsjdhar@gmail.com,	श्री दिनेश चौधरी	9993679457
11.	खरगौन	श्री धर्मेन्द्र गांगले प्रभारी	07282	235019	9826418873	pswkhr@mp.nic.in,	श्री विकास जोशी	9977933588
12.	खण्डवा	श्रीमती हेमलता प्रभारी	0733	2223229	7999076530	pswkhd@mp.nic.in,	श्री बाबू पचौरे	9424524999
13.	बड़वानी	श्री संजय सिंह तोमर प्रभारी	07290	222801	8435250148	pswbar@mp.nic.in,	श्री मनोज	9993139790
14.	बुरहानपुर	श्री बिहारीलाल प्रभारी	07325	242158	9425473201	ddsw_bpr@rediffmail	श्री विजय जाधव	9754945322
15.	झाबुआ	श्री दिनेश वर्मा प्रभारी	07392	244285	9425438193	pswjha@mp.nic.in,	श्री गजेन्द्र	9977469973
16	अलीराजपुर	श्री अशोक जैन प्रभारी	07394	234405	9425976829	ddsj.alirajpur@gmail.com	श्री मोईनुद्दीनशेख	9893426352
17.	उज्जैन	श्री सी.एल. पंथारी	0734	2510515	8878163784	pswujj@mp.nic.in,	श्री अनिल शर्मा	7509000137
18.	देवास	श्री ब्रजेश पटेल प्रभारी	07272	254928	9977096916	pswdew@mp.nic.in,	श्री शुभम सक्सेना	9575026710
19.	शाजापुर	श्री हजारीलाल वर्मा प्रभारी	07364	226783	9425038653	pswshj@mp.nic.in,	श्री नरेन्द्र तिवारी	9827809595
20.	रतलाम	श्री सुरेन्द्र सिंह प्रभारी	07412	270428	9009280696	ddsjrat@mp.gov.in,	श्री जयंत सेठिया	9009923588
21.	मंदसौर	श्री आर. के. जोशी	07422	235203	9893124075	pswmas@mp.nic.in,	श्री मनोहर प्रजापति	9617977184
22.	नीमच	श्री अरविंद डामोर प्रभारी	07423	257053	9425923409	psjnee@mp.gov.in,	श्री डाडमचन्द्र पाटीदार	9981069696
23.	आगर मा.	श्री जितेन्द्र सिंह प्रभारी	07362	259100	9425078344	ddsj.agar@mp.gov.in,	श्री नीलेश	9977028670
24.	ग्वालियर	श्री राजीव सिंह	0751	2346967	9425136317	pswgwa@mp.nic.in,	श्री मनीष कौशिक	9617807700
25.	शिवपुरी	श्री मनोज ग्रेवाल प्रभारी	07492	233640	8319213908	pswshi@mp.nic.in,	श्री पवन शर्मा	9425748281
26.	गुना	सुश्री नेहा सोनी प्रभारी	07542	252202	9424027320	pswgun@mp.nic.in,	श्री रवि	8959434509
27.	दतिया	श्री अशोक सिंह चौहान प्र.	07522	237259	9977132075	ddsjdatia@gmail.com,	श्री नरेन्द्र दुबे	9584918102
28.	मुरैना	श्री एस.बी. कबीरपंथी	07532	226990	9425127623	pswmor@mp.nic.in,	श्री दिनेश कंषाना	9993416688
29.	भिण्ड	श्री शशिभूषण शर्मा प्रभारी	07534	242568	9425419611	ddsj.bhind@mp.nic.in	श्री प्रमोद	9977912134
30.	श्योपुर	श्री सुनील भदौरिया	07530	220572	7415368842	sj.sheopur@mp.gov.in	श्री राजवीर सिंह	9826203591
31.	अशोकनगर	श्री दीवेन्द्र सिंह प्रभारी	07543	222461	9806126292	ddpashoknagar@gmail.com,	श्री विवके	9993238522
32.	सागर	श्री राजेश पटेरिया प्रभारी	07582	223524	9826872060	pswsag@mp.nic.in,	श्री अमित नेमा	9303006700
33.	दमोह	श्री आनंद कौपरिया प्रभारी	07812	222687	9425158461	pswdam@mp.nic.in,	श्री विनित नामदेव	7415414234
34.	पन्ना	श्री अशोक चतुर्वेदी प्रभारी	07732	252058	9424672972	pswpan@mp.nic.in,	श्री मोहम्मद अबूबकर	8878096363
35.	छतरपुर	श्री विजय कुमार तिर्की	07682	246517	9111614720	ddpchhatarpur@gmail.com,	श्री राकेश	9981495473
36.	टीकमगढ़	श्री आर. के. पस्तौर	07683	242383	9425404238	pswtik@nic.in,	श्री मनीष सेन	9630836500
37	निवाडी	श्री मेघा तिवारी प्रभारी			7764947079	ddsj.niwari@mp.gov.in	श्री विष्णु	9425352953
38.	जबलपुर	श्री आशीष दीक्षित प्रभारी	0761	2625256	9425384868	pswjab@mp.nic.in,	श्री कैलाश पटेल	9425647040
39.	नरसिंहपुर	श्रीमती अंजना त्रिपाठी प्रभारी	07792	230412	8750559888	pswnar@mp.nic.in,	श्री छत्रपाल मेहरा	9424303587
40.	छिन्दवाड़ा	श्री अनुराग मोदी प्रभारी	07162	243426	9424355204	pswchi@mp.nic.in,	श्री मोहनीष कहार	8109409188
41.	सिवनी	श्री वीरेश सिंह बघेल	07692	228005	9425446937	pswseo@mp.nic.in,	श्री अभिषेक कुमार	9993951339
42.	मण्डला	श्री अनिल कोचर AddCEO,ZP	07642	223560	8889472972	pswmal@mp.nic.in,	श्री पीयुष	7987058979
43.	बालाघाट	सुश्री अयुषि जैन प्रभारी	07632	240281	7987210146	pswbal-mp@mp.nic.in,	श्री लक्ष्मीचन्द बहेश्वर	9713675365
44.	डिण्डोरी	श्री पी आर टांडिया प्रभारी	07644	234841	9425359649	pswdin@mp.nic.in,	श्री राहुल शर्मा	9425854753
45.	कटनी	श्री गौरव पुष्प प्रभारी	07622	221250	9981091500	pswkat@mp.nic.in,	श्री अमित कुमार दुबे	9753667762
46.	रीवा	श्री अनिल दुबे प्रभारी	07662	254095	9425186877	pswrew@mp.nic.in,	श्री मिंगेन्द्र	9755137444
47.	सतना	श्री द्विवेदी प्रभारी	07672	224391	9425186859	ddsjsatna@gmail.com,	श्री सत्यदेव	8349859586
48.	सीधी	श्री अभिषेक सिंह प्रभारी	07822	250282	9718485781	pswsid@mp.nic.in,	श्री राजेश मिश्रा	9425161496
49.	सिंगरोली	श्री रवि मालवीय प्रभारी			9826574688	socialjusticesing@gmail.com	श्री दीपक द्विवेदी	7898124810
50.	शहडोल	श्री संतोष चौधरी प्रभारी	07652	245209	9009706059	pswshd@mp.nic.in,	श्री मोहम्मद तस्बीन	9753707580
51.	उमरिया	श्री मनमोहन सिंह प्रभारी	07653	223027	9179640022	ddsjuma@gmail.com,	श्री राजाराम अहिरवार	9617524184
52.	अनूपपुर	श्री अमन मिश्रा प्रभारी	07659	222699	7067665426	psjanu@mp.gov.in,	श्री स्वतंत्र केशवानी	9685652035